<u>षोडश माला, खंड 26, अंक 19</u> **शुक्रवार, 11 अगस्त, 2017**

20 श्रावण, 1939 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

बारहवां सत्र
(सोलहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 26 में 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

<u>सम्पादक मंडल</u>

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव
लोक सभा

ममता केमवाल
संयुक्त सचिव

अमर सिंह
निदेशक

रणविजय कुमार राव
संयुक्त निदेशक

मनोज भट्ट
उप निदेशक

© 2017 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण का अनुवाद कृत्रिम मेधा (Artificial Intelligence) **आधारित सॉफ्टवेयर एप्पलीकेशन की सहायता से किया गया है और सटीक अनुवाद उपलब्ध कराने के लिए यथोचित प्रयास किए गए हैं। तथापि,** हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

विषय-सूची

षोडश माला, खंड 26, बारहवां सत्र, 2017 / 1939 (शक)

अंक 19, शुक्रवार, 11 अगस्त, 2017 / 20 श्रावण, 1939 (शक)

विषय	पृष्ठ संख्या
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 361 से 364	9-40
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 365 से 380	42
**अतारांकित प्रश्न संख्या 4141 से 4199 और 4201 से 4370	

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

**अतारांकित प्रश्न संख्या 4200 का सदस्य द्वारा वापस लिए जाने के कारण लोप किया गया।

सभा पटल पर रखे गए पत्र 43-83

राज्य सभा से संदेश 84-85

लोक लेखा समिति 86

80 वां और **81** वां प्रतिवेदन

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पो संबंधी समिति 86

कार्यवाही सारांश

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति

39 वें से **41** वां प्रतिवेदन 87

विदेशी मामलों संबंधी समिति

16 वां प्रतिवेदन 87

खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति

विवरण 88

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 36वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री संतोष कुमार गंगवार 89

(दो) महिला और विकास कल्याण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के 268वें प्रतिवेदन तथा अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के 278वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्रीमती मेनका संजय गांधी 90

(तीन) उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2010-11) (मांग संख्या 58) के बारे में समिति के 222वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के संबंध में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के 233वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय 91

(चार) कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति के 16वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में समिति के 22वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री राजीव प्रताप रूडी 92

कार्य मंत्रणा समिति के 46वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव 93

सरकारी विधेयक - पुर:स्थापित

(एक) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2017 94

(दो) निरसन और संशोधन (दूसरा) विधेयक, 2017 95

विदाई संबंधी उल्लेख 96-99

राष्ट्रगीत 99

<u>लोक सभा के पदाधिकारी</u>

अध्यक्ष

श्रीमती सुमित्रा महाजन

उपाध्यक्ष

डॉ. एम. तंबिदुरै

सभापति तालिका

श्री अर्जुन चरण सेठी

श्री हुक्मदेव नारायण यादव

श्री आनंदराव अडसुल

श्री प्रहलाद जोशी

डॉ. रत्ना डे (नाग)

श्री रमेन डेका

श्री कोनाकल्ला नारायण राव

श्री हुकुम सिंह

श्री के.एच. मुनियप्पा

डॉ. पी. वेणुगोपाल

महासचिव

श्री अनूप मिश्र

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

शुक्रवार, 11 अगस्त, 2017 / 20 श्रावण, 1939 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**माननीय अध्यक्ष** *पीठासीन हुईं*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर[1]

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: अब, प्रश्न संख्या 361

(प्रश्न संख्या 361)

डॉ. भागीरथ प्रसाद: महोदया, केंद्रीय विद्यालय की योजना वर्ष 1961 में केंद्र सरकार की ओर से बहुत उत्साह के साथ शुरू की गई थी लेकिन एक दशक बाद पूरी परियोजना की भारत सरकार द्वारा उपेक्षा कर दी गई। वर्ष 1961 से 1971 के दौरान 10 वर्षों में सत्रह सैनिक स्कूल स्थापित किए गए थे.... (*व्यवधान*)

पूर्वाह्न 11.01 बजे

(इस समय श्री पी.आर. सुन्दरम आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

माननीय अध्यक्ष: मुझे खेद है। कृपया अपनी सीट पर जाएं।

… (*व्यवधान*)

डॉ. भागीरथ प्रसाद: केंद्र सरकार की उदासीनता इस तथ्य से स्पष्ट है कि पिछले 46 वर्षों के दौरान केवल नौ सैनिक स्कूल ही स्थापित किए गए थे। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: मुझे इस बात का खेद है। लेकिन यह कोई तरीका नहीं है।

… (*व्यवधान*)

---

[1] **प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाएं।** https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers
इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात फिल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

डॉ. भागीरथ प्रसाद: हमारी सेना की असीम ताकत और हमारे सैनिक स्कूलों की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए अब तक हर जिले में एक ऐसा स्कूल होना चाहिए था। सैनिक स्कूल की परियोजना को राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है। सैनिक स्कूलों के लिए परिकल्पित पूरी योजना और वित्तपोषण प्रणाली के दायरे ने वास्तव में राज्य सरकारों को नए स्कूल खोलने में सक्रिय भाग लेने से हतोत्साहित किया है। … (*व्यवधान*)

पूर्वाह्न 11.02 बजे

(इस समय श्रीमती वी. सत्यबामा और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

माननीय अध्यक्ष: कृपया अपनी सीटों पर जाएं। कृपया ऐसा न करें।

… (*व्यवधान*)

डॉ. भागीरथ प्रसाद: रक्षा संबंधी स्थायी समिति द्वारा यह सिफारिश की गई थी कि सैनिक स्कूलों का पूरा वित्तपोषण केंद्रीय विद्यालयों की ही तरह केंद्र सरकार द्वारा किया जाना चाहिए। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: मैं इस पर विचार करूंगी।

… (*व्यवधान*)

डॉ. भागीरथ प्रसाद: जैसा कि हम जानते हैं कि कई राज्य और संघ राज्यक्षेत्र नए सैनिक स्कूलों की स्थापना के लिए आगे नहीं आ रहे हैं और यहाँ तक कि जिन राज्यों और संघ राज्यक्षेत्र ने इस प्रक्रिया की शुरुआत की थी, जब उन्हें इस परियोजना से जुड़ी वित्तीय ज़िम्मेदारियों से अवगत कराया गया था, तो उन्होंने अपना हाथ पीछे खींच लिया। मार्शल रेस के मिथक को समाप्त करने और हमारी सैन्य इकाइयों में जातिगत पक्षपात को समाप्त करने के लिए हमें सैनिक स्कूलों को बढ़ावा देना होगा, ताकि राष्ट्रीय गौरव की सेना के साथ एक नए भारत का निर्माण किया जा सके।

इसलिए मेरा यह प्रश्न माननीय रक्षा मंत्री जी से है। क्या भारत सरकार सम्पूर्ण बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण और राज्य सरकारों के समन्वय से इन विद्यालयों को चलाने के लिए परियोजना शुरू करेगी? राज्य सरकार केवल इस परियोजना के लिए भूमि भी प्रदान कर सकती है। … (*व्यवधान*)

डॉ. सुभाष रामराव भामरे: महोदया, मैं आपके माध्यम से इस सभा को और माननीय सदस्य जी को बताना चाहता हूँ कि वर्ष 1960 के दौरान सैनिक स्कूलों की मूल अवधारणा यह थी कि इस योजना को राज्य सरकारों तथा केंद्र सरकार के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास के रूप में शुरू किया गया था। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: कृपया अपनी सीटों पर जाएं। यह कोई तरीका नहीं है । मैं इस पर बाद में विचार करूँगी।

… (*व्यवधान*)

पूर्वाह्न 11.04 बजे

(इस समय श्री पी.आर. सुन्दरम और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए।)

डॉ. सुभाष रामराव भामरे: महोदया, नए सैनिक स्कूल खोलने और उनके संचालन के लिए केंद्र और राज्यों का संयुक्त स्वामित्व बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए, यह योजना केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा संसाधनों की ज़िम्मेदारी और सहभागिता में साझेदारी सुनिश्चित करती है। सैनिक स्कूल की स्थापना हेतु संबंधित राज्य से प्रस्ताव मांगने का प्रयास, संयुक्त ज़िम्मेदारी साझा करने के लिए उस राज्य की तत्परता तथा प्रतिबद्धता का आकलन करने का एक प्रयास है।

महोदया, अब तक पूरे देश में 26 सैनिक स्कूल पूर्ण रूप से स्थापित हो चुके हैं। स्थिति यह है कि 26 सैनिक स्कूलों में से केवल 12 सैनिक स्कूलों के संबंधित राज्य सरकारों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अब यह उन्हीं राज्यों की ज़िम्मेदारी भी है क्योंकि सैनिक स्कूलों का दैनिक संचालन स्थानीय अधिकारियों पर ही निर्भर करता है। लगभग 67 प्रतिशत छात्रों का चयन उसी विशेष राज्य से किया जाता है।

जहाँ तक माननीय सदस्य जी द्वारा उठाए गए अन्य मामलों का संबंध है, तो रक्षा संबंधी स्थायी समिति ने कुछ सुझाव और सिफारिशें प्रस्तुत की हैं। अब ये सिफारिशें इस मंत्रालय के साथ-साथ वित्त मंत्रालय में भी विचाराधीन हैं।

डॉ. भागीरथ प्रसाद: महोदया, भारत सरकार ने इस विषय को राज्य सरकारों पर छोड़ दिया है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने और भविष्य के लिए अच्छे सैनिक अधिकारियों को तैयार करने हेतु भी सैनिक स्कूलों का समर्थन करना बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने अभी एक सैनिक स्कूल सोसाइटी का निर्माण किया है और भारत सरकार ने भूमि तथा अन्य निधि उपलब्ध कराने का कार्य राज्य सरकारों पर छोड़ दिया है।

मैं यह बताना चाहता हूँ कि जाति, समुदाय और मार्शल रेस जैसी अवधारणा को समाप्त करने के लिए भारत सरकार को इन विद्यालयों में अवसंरचना प्रदान करने तथा इनके संचालन हेतु पूरे व्यय का वित्तपोषण करना चाहिए। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आगे चलकर ये विद्यालय सेना के लिए अच्छे अधिकारी तैयार कर सकते हैं।

मैं यह बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश के भिंड जिले से सबसे अधिक संख्या में सैनिक हमारी सेना में शामिल होते हैं लेकिन उस क्षेत्र से कोई भी अधिकारी के रूप में शामिल नहीं होता है। अतः मेरा यह अनुरोध है कि भारत सरकार को इन विद्यालयों का वित्तपोषण करना चाहिए। भारत सरकार को भिंड और चंबल जैसे क्षेत्रों में रहने वाले योद्धा समुदाय को भी अवसर प्रदान करना चाहिए। यदि ऐसे समुदाय को भारत सरकार की सहायता से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाए और सैनिक स्कूल की स्थापना की जाए, तो निश्चित रूप से यह क्षेत्र अच्छे अधिकारी प्रदान कर सकता है। इसके परिणामस्वरूप हमारी सेना सुदृढ़ होगी तथा जाति एवं समुदाय के मुद्दों से मुक्त होगी और निष्पक्ष चयन से हमारी सेना के राष्ट्रीय गौरव को बढ़ावा मिलेगा।

डॉ. सुभाष रामराव भामरे: महोदया, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि रक्षा संबंधी स्थायी समिति ने इस संबंध में कुछ सिफारिश की है जो पहले से ही विचाराधीन है। रक्षा मंत्रालय सैनिक स्कूलों को अपना समर्थन दे रहा है। मैं माननीय सदस्य जी के संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूँ कि रक्षा मंत्रालय सैनिक स्कूलों को

प्रति वर्ष 81 करोड़ रुपये से लेकर 100 करोड़ रुपये तक की राशि प्रदान कर रहा है। इसकी तुलना में, राज्य सरकारें इन सभी 26 स्कूलों के लिए केवल 4 करोड़ रुपये ही प्रदान कर रही हैं।

सैनिक स्कूल की स्थापना एक संयुक्त उद्यम प्रयास है। यदि राज्य सरकार की ओर से इसके प्रति तत्परता दिखती है, तभी हम एक समझौता करते हैं और फिर ही सैनिक स्कूल के लिए स्वीकृति देते हैं। माननीय सदस्य जी ने एक अच्छा सुझाव दिया है तथा यह हमारे विचाराधीन है। सैनिक स्कूलों को केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले समर्थन में कोई संदेह नहीं है।

इसलिए, मैं संसद के सभी माननीयों सदस्यगण से अपील करना चाहता हूँ कि यदि वे अपने निर्वाचन क्षेत्रों में सैनिक स्कूल चाहते हैं तो उन्हें अपनी संबंधित राज्य सरकारों के साथ इस संदर्भ में बातचीत करनी होगी। भारत में संघीय व्यवस्था है। इसीलिए, हम अपेक्षा करते हैं कि जहाँ तक सैनिक स्कूलों के संचालन का संबंध है, इसमें कुछ सक्रिय भूमिका होनी चाहिए।

श्री हेमन्त तुकाराम गोडसे: महोदया, सैनिक स्कूल स्थापित करने का प्राथमिक उद्देश्य छात्रों को रक्षा अकादमी में प्रवेश करने हेतु उन्हें शैक्षणिक, शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करना था। 10 मार्च, 2017 को दिए गए रक्षा राज्य मंत्री जी के बयान के अनुसार, सशस्त्र बलों में अधिकारी पदों पर कुल 9731 तथा अन्य पदों पर 85997 कर्मियों की कमी थी। इस कमी को पूरा करने हेतु सरकार ने प्रचार अभियान, बेहतर सुविधाओं का प्रावधान और प्रचार की संभावनाओं में सुधार जैसे कई उपाय किए हैं। वर्ष 2016-17 में भी एन.डी.ए. में शामिल हुए सभी 1800 उम्मीदवारों में से केवल 183 उम्मीदवार ही सैनिक स्कूलों से पढ़े थे।

महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि बड़े राज्यों के लिए तथा सशस्त्र बलों में अपना भविष्य देखने वाले युवाओं के लिए क्या रक्षा मंत्रालय की मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ सहयोग करने की कोई योजना है ताकि सैनिक स्कूलों के पाठ्यक्रम, प्रथाओं और लोकाचार को अन्य स्कूलों में भी लाया जा सके?

डॉ. सुभाष रामराव भामरे: महोदया, जहाँ तक इनके प्रश्नों का संबंध है तो इन्होंने 2-3 प्रश्नों को एक साथ उठाया है। सबसे पहला प्रश्न सेना में जवानों की कमी के बारे में है। यह एक बिल्कुल अलग प्रश्न है और इससे संबंधित नहीं है। यदि वह चाहते हैं तो इस संबंध में उन्हें एक विस्तृत जानकारी प्रदान कर दी जाएगी।

दूसरा प्रश्न यह है कि सैनिक स्कूलों से एन.डी.ए. में प्रत्याशियों की संख्या को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? मैं उनके संज्ञान में यह लाना चाहता हूँ कि हमने इन छात्रों को एन.डी.ए. योग्यता परीक्षा के लिए तैयार करने हेतु इस तंत्र को संस्थागत बनाया है तथा हमने इसके परिणाम भी देखे हैं। वर्ष 2014 में सैनिक स्कूलों के कुल 129 छात्रों को एन.डी.ए. में चुना गया था। यह 21 प्रतिशत के बराबर है। वर्ष 2015 में यह आंकड़ा 144 था जो कि 23.92 प्रतिशत के बराबर है तथा पिछले वर्ष, अर्थात वर्ष 2016 में यह बढ़कर 30 प्रतिशत हो गया। मैं माननीय सदस्य जी को यह बताना चाहता हूँ कि हमने शिक्षण कर्मचारियों और कैडेट के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए इस तंत्र को संस्थागत बनाया है, और हमारा उद्देश्य एन.डी.ए. में प्रत्याशियों की संख्या को बढ़ाना है।

[हिन्दी]

श्री राजीव सातव: महोदया, आपने मुझे प्रश्न पूछने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

महोदया, जो डिफेंस स्टैन्डिंग कमेटी की बात माननीय मंत्री जी ने यहाँ पर की, सैनिक स्कूल के बारे में जो रिकमंडेशंस खंडूड़ी जी के नेतृत्व वाली डिफेंस स्टैन्डिंग कमेटी ने दी हैं, उनके ऊपर सरकार ने पूरा ध्यान नहीं दिया है। यह पहली बात है।

महोदया, इसमें मेरा स्पेसिफिक सवाल यह है कि यहाँ पर सैनिक स्कूलों की बात की गई है, लेकिन ये सभी सैनिक स्कूल्स जो हैं, गर्ल्स स्टूडेन्ट्स के लिए कोई सैनिक स्कूल नहीं है। क्या सरकार इस दिशा में सोचना चाह रही है, क्योंकि आप बहुत बातें कर रहे हो कि बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, तो क्या सैनिक स्कूल गर्ल्स स्टूडेन्ट्स के लिए भी होंगे और होंगे तो कब से शुरू होंगे? बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

डॉ. सुभाष रामराव भामरे: यह एक अच्छा प्रश्न है। इस संबंध में स्थायी समिति ने भी सुझाव दिए थे। उच्च न्यायालय में इस संबंध में एक जनहित याचिका भी दाखिल की गई थी। अनेक सदस्यगण ने इस विशेष बात का सुझाव दिया है। मैं यह उनके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि सैनिक स्कूलों को अवसंरचना उपलब्ध कराने हेतु सभी राज्य सरकारों के विचार मांगे गए हैं क्योंकि यह संबंधित राज्यों की ज़िम्मेदारी है। इस विषय पर सेना के मुख्यालयों के विचार भी मांगे गए हैं। उनका कहना है कि यहाँ मूल उद्देश्य इन छात्रों को एन.डी.ए. के लिए तैयार करना है तथा एन.डी.ए. बालिका कैडेट को इसमें भर्ती नहीं कर रहा है *....(व्यवधान)* यह मामला रक्षा मंत्रालय में विचाराधीन है कि क्या सैनिक स्कूलों के साथ-साथ एन.डी.ए. में भी बालिका कैडेट को प्रवेश दिया जाए या नहीं।

श्री पार्थ प्रतिम राय: महोदया, सैनिक स्कूलों का उद्देश्य छात्रों को देश की रक्षा सेवाओं में अधिकारियों के रूप में नेतृत्व करने हेतु तैयार करना और रक्षा सेवाओं में अधिकारी संवर्ग में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना है। लेकिन पश्चिम बंगाल के पुरूलिया में केवल एक सैनिक स्कूल है। दूसरे सैनिक स्कूल का निर्माण दार्जिलिंग में होने वाला है। यह भी पता चला है कि सैनिक स्कूल को मूलभूत रूप से सिलीगुड़ी के पास स्थापित करने की योजना बनाई गई थी लेकिन बाद में पहाड़ पर स्थित लोगों के साथ-साथ सिक्किम राज्य के लोगों को ध्यान में रखते हुए इसका स्थान बदलने का फैसला लिया गया।

महोदया, आपके माध्यम से मेरा माननीय मंत्री जी से एक विशिष्ट प्रश्न यह है। दार्जिलिंग में प्रस्तावित सैनिक स्कूल की वर्तमान स्थिति क्या है? इसका शैक्षणिक सत्र कब से आरम्भ होगा?

डॉ. सुभाष रामराव भामरे: महोदया, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य जी को यह बताना चाहता हूँ कि देश में कुल मिलाकर 26 सैनिक स्कूल मौजूद हैं। देश के विभिन्न हिस्सों से सैनिक स्कूलों की लगातार मांग की जा रही है। 21 सैनिक स्कूलों के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा अनुमोदन दिया गया है तथा वे अनुमोदन के विभिन्न चरणों में हैं। मैं उन्हें यह सूचित करना चाहता हूँ कि नौ स्कूलों ने पहले ही समझौता ज्ञापन पर

हस्ताक्षर कर दिए हैं। महोदया, तीन स्कूलों को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। शेष नौ स्कूल जाँच और विचार की प्रक्रिया में हैं....*(व्यवधान)* आप किस राज्य की बात कर रहे हैं?

श्री पार्थ प्रतिम राय: मैं पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग शहर की बात कर रहा हूँ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 362, डॉ. किरिट सोमैया जी।

… (*व्यवधान*)

डॉ. सुभाष रामराव भामरे: मैं उसी पर आ रहा हूँ। (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: क्या आपने अपना उत्तर पूरा नहीं किया है?

डॉ. सुभाष रामराव भामरे: आपने दार्जिलिंग के बारे में बात की। इन 21 नए सैनिक स्कूलों के अलावा कुल मिलाकर संसद के विभिन्न सदस्यों द्वारा 64 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। … (*व्यवधान*)

जैसा कि आपने पूछा है, दार्जिलिंग के संबंध में प्रस्ताव लंबित है और इस पर विचार किया जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 362। डॉ. किरिट सोमैया।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: अब ठीक है। कृपया इस तरह से न करें।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: मंत्री महोदय, कृपया ऐसा न करें।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। कृपया मेरे साथ सहयोग करें।

प्रश्न संख्या 362। डॉ. किरिट सोमैया।

(प्रश्न संख्या 362)

[हिन्दी]

डॉ. किरीट सोमैया: माननीय अध्यक्ष महोदया, जो एग्रीकल्चर लोन दिया गया है, उसका ग्रॉस एन.पी.ए. 62,307 करोड़ रुपये है। प्रश्न पूछा गया था कि फार्म लोन में विल्फुल डिफॉल्ट कितना है?

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि देश में टोटल एन.पी.ए. कितना है? मेरे हिसाब से यह लाखों करोड़ों में है। उसके सामने अगर एग्रीकल्चर का ग्रॉस एन.पी.ए. लगभग 62,000 करोड़ रुपये है तो उसमें विल्फुल डिफॉल्ट तो करीब 25-30 हजार करोड़ रुपये होगा। आज जब हमारे वित्त मंत्री जी कॉमर्शियल विल्फुल डिफॉल्टर्स के विरूद्ध एक्शन ले रहे हैं और बारह कंपनियों का इंसॉल्वेंट लिक्वीडेशन स्टार्ट भी हो गया है तो मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि कर्ज़ माफी के पश्चात् किसानों में जो विल्फुल डिफॉल्ट की आदत बढ़ी है, क्या इसके संबंध में कोई आंकड़ा है?

हमारे देश का किसान ईमानदार है। यहां बारह कंपनियों का कॉमर्शियल डिफॉल्ट है, जैसे भूषण स्टील का विल्फुल डिफॉल्ट 80,000 करोड़ रुपये है और किसानों का टोटल ग्रॉस एन.पी.ए. करीब 62,000 करोड़ रुपये है।

अगर सरकार के पास विल्फुल फार्म डिफॉल्ट के आंकड़े हों तो ज़रा बताने की कृपा करें।

श्री संतोष कुमार गंगवार : महोदया, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जहां तक लोन-वेवर का प्रश्न है, इसमें सरकार का हस्तक्षेप कुछ नहीं होता है। संबंधित बैंक आर.बी.आई. की गाइडलाइंस के हिसाब से प्रक्रिया अपनाती है और यह पूरे तरीके से कॉमर्शियल डिसीजन है।

जहां तक कृषि ऋण की बात है तो मैं इतना बताना चाहूंगा कि वर्ष 2016-17 में 7,548 करोड़ रुपये का कृषि ऋण था, जो कृषि एवं कृषि से जुड़ी अन्य गतिविधियों के लिए था। यह लोन संबंधित बैंकों द्वारा

राइट-ऑफ किया गया था। मैं बताना चाहूंगा कि इस संबंध में प्रक्रिया एकदम साफ है और बैंक उसके हिसाब से कार्रवाई करता है।

इसके अलावा अगर माननीय सदस्य कोई आतिरिक्त जानकारी चाहेंगे तो उससे मैं माननीय सदस्य को बाद में अवगत कराऊंगा।

डॉ. किरीट सोमैया: माननीय अध्यक्ष महोदया, किसानों के नाम पर जो लूट-मार बड़े किसानों के द्वारा या सुगर फैक्ट्रीज़ के द्वारा चल रही है, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में ऐसी दर्जनों सुगर फैक्ट्रीज़ हैं, जो किसानों के नाम से बेनामी कर्ज़ लेती हैं और किसानों को इसके बारे में पता ही नहीं है।

मेरे पास एक जो जानकारी है, वह मैं आपको सिर्फ पढ़ कर बताता हूं। सुगर फैक्ट्रीज़ ने 328 करोड़ रुपये का कर्ज़ पब्लिक सेक्टर बैंक्स से किसानों के नाम से लिए। 25,000 से ज्यादा किसानों के नाम से एप्लीकेशन किया गया, उन्हें कर्ज़ दिया गया और उन किसानों को इसके बारे में पता ही नहीं है। इन्होंने डिफॉल्ट किया। उन किसानों के नाम से उनकी ज़मीन ज़ब्त करने के आदेश निकल रहे हैं। अब उन किसानों को विल्फुल डिफॉल्टर्स बताया जा रहा है। यह आंकड़ा आंध्र बैंक में 39 करोड़ रुपये, यूको बैंक में 47 करोड़ रुपये, यूनाइटेड बैंक में 76 करोड़ रुपये, बैंक ऑफ इंडिया में 71 करोड़ रुपये, सिंडीकेट बैंक में 42 करोड़ रुपये, और रत्नाकर बैंक में 40 करोड़ रुपये है।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने जब कर्ज़-माफी की घोषणा की तो देवेन्द्र फडणवीस जी ने कहा कि जो छोटे किसान हैं, जो प्रामाणिक किसान हैं, उनके कर्ज़ हम माफ करने को तैयार हैं। लेकिन इन छोटे किसानों के नाम से देश भर में लूट-मार करने वाले बड़े किसान, बड़े उद्योगपति, और फ्रॉड करने वाले जो लोग हैं, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इस प्रकार से फ्रॉड करने वालों, बेनामी किसानों के नाम से कर्ज़ लेने वालों के संबंध में क्या वे कड़क कार्रवाई करेंगे?

श्री संतोष कुमार गंगवार: महोदया, मैं बताना चाहूंगा कि चीनी मिलों को दिया जाने वाला लोन फार्म लोन या कृषि लोन की श्रेणी में नहीं आता है। अभी माननीय सदस्य ने जो शिकायत बताई है, लगता है कि वह गंभीर प्रकृति की है, तो हम उसकी जांच करेंगे तथा कार्रवाई भी करेंगे।

अब यह निर्णय करना कि लोन रिस्ट्रक्चर करना है या नहीं करना है, यह बैंक तथा चीनी मिल के बीच का मसला है। मैं ऐसा मानता हूं तथा मैं स्वयं भी किसान हूं। कृषि के हिसाब से जो ऋण होता है, बैंक्स इस हिसाब से सीधे लोन नहीं देते हैं। बैंक्स चीनी मिल को लोन देते हैं और उसके हिसाब से कार्रवाई करते हैं। माननीय सदस्य ने जो आनियमितता संबंधी जानकारी दी है, हम निश्चित रूप से उसकी जानकारी लेकर, जो भी तथ्य होंगे, उससे माननीय सदस्य को अवगत कराएंगे।

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा: धन्यवाद, अध्यक्षा महोदया । इस उत्तर में कहा गया है कि वर्ष 2014 के बाद केंद्र सरकार द्वारा कृषि ऋण माफ करने की कोई योजना नहीं है। माननीय वित्त मंत्री जी का भी बयान आया है कि केंद्र सरकार अभी इस तरह की कोई योजना नहीं ला रही है। यह कहा गया है कि कृषि ऋण के संबंध में जो डिफॉल्टर्स हैं, उनसे निपटने के लिए इसी उत्तर में कहा गया है कि क्रिमिनल तथा कानूनी कार्रवाई का निर्देशन आर.बी.आई. द्वारा दिया गया है।

मैं एक तथ्य रखकर अपना सवाल पूछना चाहूंगा। हमारा आउटस्टैंडिंग फार्म लोन मार्च 2014 में 8.11 लाख करोड़ रूपये का था। आज वह बढ़कर 12.60 लाख करोड़ रूपये का हो गया है। यह सरकार को आत्ममंथन करने की बात है कि 67 साल में 8.11 लाख करोड़ रूपये का और केवल तीन वर्ष में 4.50 लाख करोड़ रूपये का आतिरिक्त 60 प्रतिशत कृषि कर्ज का बोझ किसान पर क्यों बढ़ा? यह प्रश्न उठता है।

हम कार्पोरेट राइट ऑफ की बात करें, तो इस सरकार ने कार्पोरेट राइट ऑफ के संबंध में पिछले तीन वर्षों में नयी आयाम स्थापित किया है । श्री गंगवार जी ने राज्य सभा में बताया कि इस वर्ष लगभग 60 हजार करोड़ रूपये (59 हजार 547 करोड़ रूपये) का कार्पोरेट लोन राइट ऑफ किया गया है। इंडिया रेटिंग क्रेडिट एजेंसी का अनुमान है कि चार लाख करोड़ रूपये का कार्पोरेट लोन राइट ऑफ किया गया है। मेरा प्रश्न यह है,

जिसमें माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जी ने भी इस बात पर जवाब दिया कि कार्पोरेट लोन राइट ऑफ है, लेकिन वह केवल एंट्री का बदलाव है। फिर भी, उसमें कलेक्शन करते हैं, मगर सच यह है कि एनपीए में वे चले जाते हैं, वहां भी जो आपकी कलेक्शन है, वह वर्ष 201415 में पूर्वाह्न 11.8 प्रतिशत और वर्ष 201516 में 13.8 प्रतिशत है। लाखोंकरोड़ों रूपये का कार्पोरेट लोन राइट ऑफ हो जाता है और उससे 1112 पर्सेंट से ज्यादा आपकी कोई रिकवरी नहीं होती है, लेकिन जब किसान के ऋण माफ करने की बात आती है, तो सरकार मना करती है।

मैं सरकार से पूछना चाहता हूं और श्री थॉमस जी की पब्लिक एकाउंट्स कमेटी थी, उसने यह एस्टिमेट दिया था कि एनपीएज़ में केवल एक प्रतिशत जो एनपीए है, उसमें 70 प्रतिशत कार्पोरेट के बैड लोन हैं और केवल एक प्रतिशत जो किसान का कर्जा है, जो कि माफ किया जा सकता है। आपकी नीतियों की वजह से किसान रिकॉर्ड कर्जवान हुए हैं। किसान पर तीन वर्ष के अंदर 60 पर्सेंट का कर्ज बढ़ गया है। क्या आप इन बातों को ध्यान में रखते हुए किसानों के कर्ज माफ करेंगे, आप कार्पोरेट राइट ऑफ ज्यादा करेंगे या किसान का कर्ज ज्यादा माफ करेंगे? कृपया इस बात का आप जवाब दीजिए।

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली): अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले कह दूं कि जो इस प्रश्न की बुनियाद थी, शायद उसके तथ्य अपने आप में ठीक नहीं हैं और श्री दीपेन्द्र जी उसको वेरिफाई कर लें। सरकार ने किसी कार्पोरेट का एक रूपये का राइट ऑफ नहीं किया है। यह बात जो बारबार दोहराई जाती है, उसको कहने से पहले या दोहराने से पहले एक बार पुष्टि कर लिया करें। ये एनपीएज़ क्यों बढ़े? वर्ष 2014 के बाद उसके पीछे जो कारण था, उसको कई बार इस सदन में बताया गया। ये वे लोन्स हैं, जो वर्ष 2014 से पहले पब्लिक सैक्टर बैंक्स ने ज्यादा तथा प्राइवेट सैक्टर बैंक्स ने कुछ कम किया, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तथा इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स को पब्लिक सैक्टर बैंक्स ज्यादा सपोर्ट करते हैं। यह उस बूम पीरियड में और वर्ष 2008 तथा उसके बाद, जो बैंक्स ने कुछ सैक्टर्स में लैंडिंग की हुई थी, उन सैक्टर्स के ऊपर कुछ आर्थिक एडवर्स सरकम्सटांसेज़ आए। ग्लोबल तथा डोमेस्टिक फैक्टर्स की वजह से और वर्ष

2014 में जो ब्याज की सुई थी, वह चलनी बंद नहीं हुई। जब पुराने लोन पर ब्याज चलता रहेगा, तो आंकड़ा बढ़ता रहेगा। इसलिए, पब्लिक सैक्टर बैंक्स के जो पूरे टोटल एनपीएज़ हैं, वे 31 मार्च तक लगभग 6.41 करोड़ रूपये थे। स्ट्रेस असेट थोड़े उससे ज्यादा होंगे, लेकिन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में अलग से हैं। ये क्योंकि कुछ विशेष सैक्टर्स के हैं, इसलिए इनको रिकवर करने के लिए कई प्रकार के कोआर्सिव स्टेप्स उठाए जाते हैं।

जहां तक कृषि क्षेत्र का सवाल है, इस साल जिस फाइनैंशियल ईयर से हम जा रहे हैं, केवल ग्रामीण और कृषि क्षेत्र में 2.92 लाख करोड़ रुपये, केवल उस सैक्टर में हम लोगों ने निवेश किया है और वह निवेश तरह-तरह से होता है। वह क्रॉप इंश्योरेंस के माध्यम से होगा, ग्रामीण सड़कों के माध्यम से होगा, इंट्रेस्ट सबवेंशन के माध्यम से होगा, आवास योजना के माध्यम से होगा। यह रिकार्ड एमाउंट है, जो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर इनवेस्ट किया जा रहा है। उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था उठे, इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है।

जो ऋण उस क्षेत्र के हैं, अलग-अलग राज्य सरकारें, जिनके पास फिसकल स्पेस है, वे अपनी योजनायें उस दृष्टि से वहां पर बना रही हैं, जिसके पास वह फिसकल स्पेस है। केंद्रीय सरकार ने अपने बजट में प्रावधान किया हुआ है कि उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को उठाने के लिए हम लोग प्रयोग करते रहे और वह करते हैं। बैंक्स के पास डिस्क्रिशन रहती है, जिसको हम बैंक की परिभाषा में कहते हैं, वे हेयरकट लेते हैं कई बार लोन्स को सैटल करने के लिए, तो कृषि क्षेत्र के ही पिछले वर्ष में 7,548 करोड़ रुपये के लोन्स उन्होंने केवल एग्रीकल्चर के, मान लीजिए कि अगर किसी से 30 परसेंट कम लिया, 40 परसेंट कम लिया और उसका एकाउंट सैटल किया, तो इतना हेयरकट लेकर पब्लिक सैक्टर बैंक्स ने इतना कंसैशन इस साल भी, पिछले वर्ष में भी कृषि क्षेत्र में दिया है। ...(व्यवधान)

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा: मैडम स्पीकर, यह सच है कि एग्रीकल्चर सैक्टर लॉस में है। देश का किसान कर्जदार हो गया है। कर्ज माफी के लिए प्रदेश सरकारों ने वादे किये। जब सप्लीमेंट्री डिमांड पर डिस्कशन हुई थी, माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा था कि कोरपोरेट सैक्टर का ग्लोबल कांप्टीशन के कारण या रिसैशन के

कारण 8 लाख करोड़ रुपये का एनपीए बढ़ा है। अगर एग्रीकल्चर सैक्टर में भी यह है, तो क्या कोई पॉलिसी सरकार बनाने जा रही है? पंजाब के अजनाला में एक किसान ने खुदकुशी की। उसने वहां के मुख्य मंत्री का नाम लिखा कि मैं उनके कारण खुदकुशी कर रहा हूं। यह माननीय वित्त मंत्री जी को नोटिस में है या नहीं। ...(व्यवधान) अगर है, तो सरकार क्या उपाय कर रही है? ...(व्यवधान) फिसकल स्पेस की बात है, तो पंजाब में फिसकल स्पेस नहीं रहा। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप माननीय मंत्री जी से क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं?

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा: अगर बच्चा नालायक हो जाए तो उसको घर से नहीं निकाला जाता है। ...(व्यवधान) वहां की सरकार ने गलत वादे करे। ...(व्यवधान) 200 किसान 4 महीने में खुदकुशी कर चुके हैं। ...(व्यवधान) क्या केन्द्र सरकार पंजाब को मदद देने के लिए तैयार है? ...(व्यवधान) मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं। वहां की स्थिति बहुत विस्फोटक बनी हुई है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ठीक है, मंत्री जी बतायेंगे।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठिए। आपने प्रश्न पूछ लिया है।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: केवल मंत्री जी का उत्तर ही कार्यवाही-वृत्तान्त में जायेगा।

…(व्यवधान)… *

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आप बैठिए। आपने प्रश्न पूछ लिया।

… (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: अब, आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार : महोदया, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि राज्य सरकारें अपने किसानों की आवश्यकता के हिसाब से स्कीम बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। ...(व्यवधान) केन्द्र सरकार का इसमें कोई दखल नहीं है। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा जी कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यह क्या है?

…(व्यवधान)… *

माननीय अध्यक्ष: क्या आप माननीय मंत्री जी से उत्तर नहीं चाहते हैं?

* कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: वे अपना उत्तर दे रहे हैं। आप कृपया अपनी सीट पर बैठें। सभा में यह सब क्या हो रहा है?

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: मंत्री महोदय, आप कृपया अपना उत्तर दीजिए।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार : केन्द्र सरकार किसानों के दीर्घकालीन हितों को ध्यान में रखते हुए कई प्रकार के कार्य कर रही है। इसलिए हम बताना चाहेंगे कि 2009-10 में, जहां पर लोन लगभग सवा तीन लाख करोड़ रुपये था, वह पिछले वर्ष 2016-17 में बढ़ कर 10 लाख 65 हजार करोड़ रुपये हो गया। पूरा सदन अवगत है कि किसान भाइयों को 7 परसेंट की ब्याज दर पर पैसा दिया जाता है। तीन लाख रुपये तक का अगर कर्ज है और समय पर किसान उसे चुकाता है, तो तीन पर्सेंट की आतिरिक्त सब्सिडी दी जाती है। यह सब्सिडी देने के बाद किसान को केवल चार प्रतिशत कर्ज देना पड़ता है।

जहां तक सब्सिडी का प्रश्न है, 2014-15 में सब्सिडी 6,000 करोड़ रुपए दी गई थी, अब हम इस वित्तीय वर्ष में बढ़ाकर 15,000 करोड़ रुपए कर रहे हैं। हम किसान को इतनी आर्थिक सहायता दे रहे हैं। इसके अलावा आरबीआई ने किसानों को दिए जाने के संदर्भ में रिपेमेंट के बारे में और अन्य बातों में बहुत नए फैसले लिए हैं। आपको ध्यान होगा कि अभी तक अगर बाढ़, सूखा या ओलावृष्टि हो जाती थी तो किसान को 50 प्रतिशत तक क्रॉप इंश्योरेंस का लाभ मिलता था। उसे हमने कम करके 33 परसेंट कर दिया है, इसकी रिपेमेंट में सुविधा देने का काम किया है।

हम पूरी तरह से किसान के प्रति जागरुक हैं, समर्थक हैं और किसान के लिए कोई समस्या नहीं आने देंगे। यह हमारी रुचि का विषय है।

[अनुवाद]

श्री के. अशोक कुमार: महोदया, वर्ष 2016-17 में संचित कुल कृषि ऋण लगभग 3.10 लाख करोड़ रुपये है जो हमारी जी.डी.पी. का 2.6 प्रतिशत है। तथापि, वर्ष 2000 के बाद से सरकार ने 4.0 लाख करोड़ रुपये से अधिक के कॉर्पोरेट ऋण की छूट दी है जिनका लाभ कॉर्पोरेट क्षेत्र में कुछ लोगों को मिला है। क्या यह भी सत्य है कि केंद्र सरकार ने राज्यों से कृषि ऋण पर दी इस छूट को स्वयं ही वहन करने के लिए कहा है? इसलिए, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या केंद्र सरकार स्वयं ही पूरा बोझ उठाकर कृषि ऋण सी जुड़ी छूट को प्रदान करने पर विचार कर रही है।

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार: माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पहले ही बताया है कि यह विषय राज्यों का है। केंद्र ने केवल एक बार 2008-09 में लोन वेवर किया था, उसके बाद अभी कोई ऐसा फैसला नहीं है। हम किसान को जितनी आधिकतम सहायता दे सकते हैं, विभिन्न माध्यमों से दे रहे हैं।

श्री संजय धोत्रे: माननीय अध्यक्ष जी, किसानों की ऋण माफी का विषय बहुत संवेदनशील है। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश सरकार ने कर्ज माफी की है। माननीय मंत्री जी ने वर्ष 2008-09 के बारे में बताया, उस समय कर्ज माफी में कुछ ऐसे मामले सामने आए थे कि जो नॉन एग्रीकल्चर फाइनेंस में थे, उनका भी कर्ज कुछ बैंकों ने माफ किया था। इसमें किसानों की कर्ज माफी में रियल बेनिफिशरीज़ बैंकर रहते हैं। बैंक्स कई बार वन टाइम सैटलमेंट करते हैं। कर्ज माफी में बैड डैट की रिकवरी में सरकार भुगतान करती है। इस कारण सरकार पर बहुत बोझ बढ़ जाता है और विकास की योजनओं में बाधा पहुंचती है।

अभी राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो कर्ज माफी करेगी, उसमें जिस तरह वन टाइम सैटलमेंट होता है, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या उस तरह का मैकेनिज्म बनाया जाएगा जिसमें 60-70 परसेंट सरकार बियर करे और 30-40 परसेंट बैंक बियर करे?

श्री संतोष कुमार गंगवार: माननीय अध्यक्ष जी, राज्य सरकार जो फैसला करेगी, यह उसके ऊपर निर्भर करता है। इसमें केंद्र का सीधा हस्तक्षेप नहीं रहता है। इसके बाद भी राज्य सरकार हमसे कोई परामर्श लेगी तो हम हर प्रकार का परामर्श देंगे।

(प्रश्न संख्या 363)

[हिन्दी]

श्री आर.के.सिंह: माननीय अध्यक्ष जी, जो उत्तर प्राप्त हुआ है, यह समस्या को डिनाई करता है, लेकिन समस्या तो है। एक कमरे में सैंकड़ों कंपनियां रजिस्टर्ड पाई जाती हैं। करीब चार लाख कंपनियां कोई रिटर्न नहीं दे रही हैं, अभी 1,03,000 शैल कंपनियों को डि-रजिस्टर्ड करने के लिए सरकार ने मूव किया है। सरकार ने जुलाई 2017 के अपने उत्तर में खुद कहा कि 700 शैल कंपनियां हैं जिन पर कार्रवाई कर रहे हैं। [अनुवाद] वर्तमान में सरकार ने फ़र्ज़ी कंपनियों की पहचान, उनके संचालन की जाँच तथा उन पर आगे आवश्यक कार्रवाई करने हेतु कई उपाय किए हैं। [हिन्दी] यह सरकार का जवाब है जो प्रश्न 213 अनस्टार्ड के उत्तर में है। इस उत्तर में कहा जा रहा है कि 700 शैल कंपनी नाम की कोई डेफिनेशन कंपनी एक्ट में नहीं है। कानून की व्यवस्था सही है। अगर कानून की व्यवस्था सही है, पूरी प्रक्रिया सही है तो करीब चार लाख शैल कंपनियां कहां से पैदा हो गईं और क्यों पैदा हो गईं? इसका मतलब है कि कानून और कानून के इम्पलीमेंटेशन दोनों में समस्या है।

अध्यक्ष महोदया, आवश्यकता इस बात की है कि उस समस्या को रिकोग्नाइज किया जाये, ऐक्सैप्ट किया जाये। मैं कोई पोलिटिक्स की बात नहीं कर रहा, लेकिन अभी हाल में गगन विहार में एक घर के एड्रैस में 187 कम्पनीज रजिस्टर्ड मिलीं, जिसने एक पोलिटिकल पार्टी को फंडिंग किया था। हमें कानून में सुधार की आवश्यकता स्पष्ट नजर आती है, क्योंकि अगर रजिस्ट्रेशन ऐसे ही हो जाता है कि एक ही कमरे में सैंकड़ों कम्पनीज रजिस्टर्ड हो जाती हैं, तो कैसे कहा जाता है कि यह कानून सही है और बिना वेरीफिकेशन के रजिस्ट्रेशन नहीं होता है?

मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या वे पुनः एनालाइज करेंगे कि क्या-क्या खामियां हैं और उन्हें कैसे दूर किया जाये?

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली): अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने जिस समस्या की ओर ध्यान दिलाया है, वह वास्तविक समस्या है। माननीय सदस्य का यह कहना बिल्कुल ठीक है। यह भी सच्चाई है कि शेल कम्पनी नाम की कोई ऐसी शब्दावली नहीं है, जिसकी कम्पनीज एक्ट में परिभाषा हो। किसी को भी एक कम्पनी रजिस्टर्ड करवाने का आधिकार है और उसके आधार पर वह दिखलायेगा कि यह कम्पनी इस एड्रैस से चलेगी, इसके ये शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स होंगे। यह कम्पनी कार्रवाई करेगी और अपना व्यवसाय, बिजनेस करेगी। लेकिन शेल कम्पनी व्यावहारिक तौर से वह कम्पनी हो जाती है, जिसका कोई उद्योग, व्यवसाय नहीं होता। ये कम्पनीज केवल पैसे को घुमाने की दृष्टि से, उसकी राउंड ट्रिपिंग करने की दृष्टि से बनायी जाती हैं। कई लोग इन कम्पनीज को बनाकर नाजायज लाभ उठाते हैं और उसके माध्यम से कैश पैसे को घुमाना, मल्टी लेयरिंग, यानी कई कम्पनीज एक के बाद एक बनें और उसमें से उसकी रियल आईडेंटिटी को छुपाना और उसके माध्यम से किसी व्यवसाय या बिजनेस में निवेश कर देना होता है। आज तक परिस्थिति यह थी कि इस प्रकार मल्टी लेयरिंग के माध्यम से शेल कम्पनीज, जो केवल पैसे को घुमाने या राउंड ट्रिपिंग की दृष्टि से इसका प्रयोग करती थी। अब इसे कैसे डील किया जाये, तो हम इसे उस कानून में सामान्य इनकम टैक्स की परिभाषा में डील करते थे। इसलिए इस समस्या का हल केवल कम्पनी लॉ में नहीं है, बल्कि इस समस्या का हल इनकम टैक्स लॉ में भी है। इन्हें डिटेक्ट करना और डिटेक्ट करने के बाद इस पैसे के असली मालिक तक पहुंचना, उसकी टैक्स की लायेबिलिटी को बढ़ाना है। बेनामी कानून पारित होने के बाद, क्योंकि बेनामी कानून केवल इममूवेबल प्रापर्टी तक नहीं है, टैन्जिबल ऐसेट्स के ऊपर भी लागू होता है और कम्पनी के माध्यम से जो पैसा घुमाया जाता है, उस पर भी लागू होता है। इसलिए उस कानून के तहत, जो इसका प्रत्यक्ष रूप से मालिक दिख रहा है, लेकिन असली मालिक कोई और है, इसलिए बेनामी कानून में भी कार्रवाई करना होता है। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि इनकम टैक्स कानून और बेनामी कानून के तहत इन शेल कम्पनीज के खिलाफ पिछले दिनों काफी तीव्रता से कार्रवाई हुई है और वह चलती रहेगी।

जहां तक कम्पनी एक्ट का संबंध है, तो उसमें कुछ कम्पनीज ऐसी होती हैं, जिन्हें आप शेल कम्पनी न कहकर डॉर्मेंट कम्पनी कह सकते हैं। अब कम्पनी रजिस्टर्ड करवा ली, लेकिन कम्पनी एक्ट के तहत जो कार्रवाई करनी होती है कि आपको रिटन फाइल्स करने हैं, बैलेंस शीट्स बनानी हैं, तो वे कार्यवाही नहीं करते और कभी इस इरादे से रखते हैं कि बाद में यह कभी शेल कम्पनी के रूप में काम आ जायेगी। इसलिए सरकार ने इस पर तीव्र कार्रवाई की है और पिछले दिनों 1 लाख 78 हजार ऐसी कम्पनीज को हमने डी-रजिस्टर्ड किया है। हाल में भी अभी डिपार्टमैंट ऑफ कम्पनी अफेयर्स ने सेबी को ऐसी कुछ कम्पनियों के बारे में इत्तला भेजी है, जिसे लेकर बाजार में थोड़ी उथल-पुथल भी है।

श्री आर.के.सिंह: अध्यक्ष महोदया, इसमें कोई शक नहीं है कि जब से हमारी सरकार आयी है, तब से वह बहुत तीव्रता और कड़ाई से कार्रवाई कर रही है। यह सच है कि इस सरकार ने जितनी शेल कम्पनीज को रजिस्टर्ड किया, उतना पहले किसी सरकार ने नहीं किया। मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान एक व्यवस्था की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। अभी व्यवस्था यह है कि कोई भी व्यक्ति अब रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लाई कर सकता है। उस व्यक्ति को सैल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ता है। अब एफिडेविट की भी जरूरत नहीं है। वह सैल्फ डिक्लेरेशन दे देता है, आईडेंटिफिकेशन का कोई डाक्यूमैंट दे देता है। जिस एड्रैस पर वह कम्पनी स्थित होगी, उसका भी एक सैल्फ डिक्लेरेशन दे देता है या कोई वकील डिक्लेरेशन देता है और उसका कोई वेरीफिकेशन नहीं होता है। इसी के फलस्वरूप इतनी सारी शेल कंपनीज फॉर्म हो जाती हैं। इन शेल कंपनीज का एक ही मकसद होता है - बेनामी प्रॉपर्टी और बेनामी कैश को होल्ड करना। बिना वेरिफिकेशन के जो कंपनीज रजिस्टर हो जाती हैं, क्या मंत्री महोदय उस व्यवस्था पर गौर करना चाहेंगे? जैसे हम लोग बिना वेरिफिकेशन के किसी को आइडेंटिटी कार्ड नहीं देते हैं, पहले उसका वेरिफिकेशन करते हैं, लेकिन यहां पर बिना वेरिफिकेशन के लोग कंपनी बना लेते हैं। मेरे ख्याल से यह व्यवस्था में एक कमी है। क्या मंत्री महोदय इस पर ध्यान देंगे?

श्री अरुण जेटली: हम निश्चित रूप से इसे और सख्त कर सकते हैं, लेकिन माननीय सदस्य इसे एप्रिशिएट करेंगे कि एक तरफ, जो लोग इसका दुरूपयोग करते हैं, उनके खिलाफ चाहे इनकम टैक्स, बेनामी एक्ट या कंपनीज एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई करें, लेकिन दूसरी तरफ हमें व्यवस्था में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस भी स्थापित करना है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की दृष्टि से आज यह व्यवस्था है कि जो कंपनी बनाने के लिए एप्लाई करता है, उसे एक या दो दिन के अंदर कंपनी का रजिस्ट्रेशन मिल जाए। उसे कंपनी को रजिस्टर कराने में सालों-साल तकलीफ न हो। इन दोनों चीजों को बैलेंस करना पड़ेगा कि कंपनी रजिस्ट्रेशन ईज़ी रहे, लेकिन अगर कोई इसका दुरूपयोग करता है तो उसकी डिटेक्शन हो सके। आज टेक्नोलॉजी की वजह से डिटेक्शन इतनी कठिन नहीं है।

[अनुवाद]

श्री बैजयंत जय पांडा: माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि फ़र्ज़ी कंपनियों पर निशाना साधने के लिए कंपनी अधिनियम को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है और उन्होंने एक लाख से अधिक ऐसी कंपनियों की मान्यता रद्द किए जाने हेतु उठाए जा रहे कदमों की ओर भी इशारा किया है।

महोदया, मैं यह कहना चाहूँगा कि चाहे कितनी भी जाली कंपनियों की मान्यता रद्द भी कर दी जाए, फिर भी ऐसे गलत काम करने वाले लोग कभी नहीं सुधरेंगे। वे नई कंपनियां अथवा नए लेन-देन शुरू कर देंगे तथा जैसा कि माननीय मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है, अतः वे इसका उपयोग वैध धन को काले धन में परिवर्तित करने या *काले धन को वैध धन में बदलने में* करेंगे और इसे बेनामी संपत्ति में स्थानांतरित कर देंगे। उन्होंने ऐसी प्रौद्योगिकी के बारे में बताया है जिससे ऐसे लोगों के बारे में पता लगाना आसान हो गया है।

मेरा इस मुद्दे पर एक विशिष्ट प्रश्न है। जैसा कि मंत्री जी ने कहा, कंपनियां विभिन्न उद्देश्य जैसे औद्योगिक उद्देश्यों के लिए, सेवा उद्देश्यों के लिए अथवा एक होल्डिंग कंपनी के रूप में भी स्थापित की जाती हैं। भले ही फ़र्ज़ी कंपनियों को अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है लेकिन आमतौर पर उद्योग की

भाषा में ऐसा समझा जाता है कि कुछ बेईमान लोग केवल इन ग़ैर-कानूनी लेन-देन के उद्देश्य से इन कंपनियों को स्थापित करते हैं।

यही सब देखते हुए, सरकार ने इसी उद्देश्य के लिए तकनीक की मदद से पैन कार्ड के साथ आधार लिंक करने की शुरुआत की है, ताकि बायोमेट्रिक्स के उपयोग के माध्यम से बड़ी संख्या में नकली पैन कार्ड अथवा जाली पैन कार्ड की पहचान की जा सके। क्या माननीय मंत्री जी हमें बताएंगे कि फ़र्ज़ी कंपनियों के पीछे के लोगों का खात्मा करने के लिए भी इसी तरह के बायोमेट्रिक संबंधित तरीकों को लागू किया जा रहा है, न कि केवल फ़र्ज़ी कंपनियों का ही खात्मा करने के लिए ? यदि ऐसा नहीं किया जा रहा है, तो क्या वह इसके लिए कुछ उपाय करने पर विचार करेंगे?

श्री अरुण जेटली: महोदया, मैं माननीय सदस्य जी के प्रश्न को एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण सुझाव के रूप में लेता हूँ। हम निश्चित रूप से स्वयं ही इसे लागू करेंगे और इन सुझावों को ध्यान में रखेंगे।

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन: मैडम, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि बेनामी सम्पत्ति का एक कानून आया, एक काले धन का कानून है। जिन लोगों के पास आज से दस साल या बीस साल पहले शून्य धन हुआ करता था, चाहे वह कोई पॉलिटिशियन हो, चाहे आज कोई इस देश का बड़ा उद्योगपति बन गया हो, मैं बाहर के काले धन की बात नहीं कर रहा हूं, आज देश के भीतर, किसी भी व्यवस्था के भीतर जो काला धन है, कानून की आड़ लेकर बड़े ही विचित्र तरीके से अपने जीवन में किसी ने अकूत पैसा कमाया है, ऐसे जो व्यक्ति आज बड़े-बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन बने हुए हैं, उनका काला धन बाहर निकालने के लिए क्या आप कानून बनाएंगे? एक कानून आपने बेनामी सम्पत्ति के लिए बनाया है, जो दिख रहा है, जो नहीं दिखा रहा है, कानून की आड़ में जो अकूत धन बनाया गया है, उसे निकालने के लिए क्या कोई व्यवस्था सरकार करेगी? क्या ऐसा कोई कानून बनेगा, जिससे लोगों को किसी भी रास्ते से अकूत सम्पत्ति बनाने वाली इजाजत नहीं मिलेगी? ऐसे लोगों में पॉलिटिशियन्स का नाम इस देश में सबसे ज्यादा है।

श्री अरुण जेटली: मैडम, उसके लिए मौजूदा कानून पर्याप्त है। इस माध्यम से चाहे वह पैसा किसी बिजनेस के लिए या राजनीति के लिए अपनाया जाए, उसके लिए मापदण्ड केवल एक है, कानून केवल एक है और इसके लिए कोई अलग कानून बनाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी पोलिटिकल पार्टी या पॉलिटिशियन का पैसा भी उसमें आता है तो वही बेनामी कानून और इनकम टैक्स कानून उसके ऊपर लागू होंगे।

[अनुवाद]

डॉ. शशि थरूर: माननीय अध्यक्ष महोदया, यह बहुत ही रोचक चर्चा रही है और माननीय मंत्री जी का उत्तर भी बहुत मददगार है, लेकिन मुझे लगता है कि इतना ही पर्याप्त नहीं है। मेरे सहयोगी श्री बैजयंत जय पांडा ने पहले ही एक बहुत दिलचस्प सुझाव दिया है। लेकिन जब आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय यह प्रकाशित करता है कि भारत में 15 लाख पंजीकृत कंपनियां हैं तथा उनमें से मात्र 6 लाख ही अपना वार्षिक रिटर्न दाखिल करती हैं, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। भले ही फ़र्ज़ी कंपनियों को अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन इसकी भी संभावना है कि 9 लाख कंपनियां या तो निष्क्रिय हैं या फ़र्ज़ी हैं।

माननीय अध्यक्ष: वे शैल्फ कंपनियां हैं। **[हिन्दी]** शैल्फ पर रखते हैं।

[अनुवाद]

डॉ. शशि थरूर: माननीय अध्यक्ष महोदया के पास परफेक्ट फॉर्मूला है। वे या तो 'शेल्फ' कंपनियां हैं या 'शेल' कंपनियां हैं। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि वे अधिनियम में संशोधन नहीं करना चाहते क्योंकि ऐसे कई अधिनियम हैं जो इनमें से कुछ अपराधों को कवर करते हैं। क्या यह हैरानी की बात नहीं है कि कंपनी अधिनियम में किसी कंपनी को शुरू करने वालों को अपना लाभकारी स्वामित्व दर्शाने की आवश्यकता नहीं है? इसलिए, वास्तव में माननीय मंत्री जी अधिनियम में संशोधन करने पर विचार कर सकते हैं, जिसमें प्रत्येक कंपनी को यह बताने की आवश्यकता होगी कि उन कंपनियों का लाभकारी स्वामी कौन हैं और फिर इसे श्री

पांडा जी के सुझाव के साथ देखा जा सकता है कि उन मालिकों को बायोमेट्रिक्स जैसे और संकेतकों द्वारा भी पहचाना जा सकता है। मंत्री महोदय, क्या यह अधिनियम में लाने के लिए एक उपयोगी संशोधन साबित नहीं होगा?

श्री अरुण जेटली: कंपनी अधिनियम में पहले से ही एक प्रावधान है जो एक लाभकारी स्वामी को परिभाषित करती है और यह 2013 के अधिनियम में लाया गया कोई एक नया प्रावधान नहीं है। यहाँ तक कि 1956 के अधिनियम में धारा 187 में यह बिल्कुल स्पष्ट था कि यदि कोई अन्य लाभकारी स्वामी है जिसकी ओर से दृश्यमान स्वामी अथवा स्पष्ट स्वामी के पास शेयर हैं तो उसे पुराने कंपनी अधिनियम की धारा 187 के अन्तर्गत तथा नए अधिनियम में संबंधित प्रावधान में एक घोषणा दर्ज करनी होगी । तो, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मुझे लगता है कि माननीय सदस्य को इस स्पष्टता की आवश्यकता है कि एक 'निष्क्रिय' कंपनी और एक 'शेल' कंपनी के बीच अंतर क्या है। एक 'निष्क्रिय' कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो वैध रूप से पंजीकृत तो होती है लेकिन अपना रिटर्न दाखिल नहीं करती है तथा कंपनी अधिनियम के प्रावधानों का भी पालन नहीं करती है। अतः, इस बात की काफी संभावना है कि इनमें से कुछ निष्क्रिय कंपनियों का जाली कंपनियों के रूप में दुरुपयोग किया जाए। इसलिए, कंपनी अधिनियम में निष्क्रिय कंपनियों जैसा विषय मौजूद है और इसलिए ये कंपनियां विपंजीकृत हैं और यही कारण है कि हमने इन कंपनियां को हाल ही में विपंजीकृत किया है। यदि उनका दुरुपयोग किया जाता है, तो उन्हें लाभकारी स्वामी को बदलना होगा। अब आपके पास एक अतिरिक्त साधन है जो राजस्व कानूनों के साथ-साथ बेनामी संपत्ति कानून के अन्तर्गत भी प्रावधान है। यदि आपने किसी एक व्यक्ति को लाभकारी स्वामी घोषित नहीं किया है, जो कि आपकी ईमानदारी का सबूत देती है, और आप किसी झूठे नाम के अधीन व्यवसाय कर रहे हैं, मान लीजिए, किसी रसोइया या ड्राइवर जो एक कंपनी का शेयर धारक बनता है और हम आम तौर पर इस प्रकार खुलासे देखते ही हैं, तो इस प्रकार की कंपनियों पर अचल संपत्ति के मामले की तरह ही बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम भी लागू होता है।

(प्रश्न संख्या 364)

[हिन्दी]

डॉ. मनोज राजोरिया: माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं माननीय मंत्री जी को और भारत सरकार को धन्यवाद देता हूं कि जिस तरीके से मेरा विस्तृत प्रश्न था, उसी तरीके से उन्होंने विस्तृत जवाब दिया है। देश की चिन्ताएं थीं कि जब मोदी सरकार बनी, उससे पहले देश में एक भय का माहौल था, आतंकवादियों का बोलबाला था, देश की सीमाओं पर भी बड़ा खतरा मंडरा रहा था और हम विदेशों पर निर्भर थे। लेकिन माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से मेक-इन-इंडिया का कार्यक्रम चलाया गया और देश की सेनाओं का आधुनिकीकरण करने का जो कार्य चलाया गया, उसके लिए मैं सरकार की सराहना करता हूं। सबसे अच्छी बात यह रही कि पिछले तीन सालों के बारे में जो मैंने पूछा था कि किस प्रकार से हमारे मेक-इन-इंडिया के तहत कांटैक्ट किये गये और कितना प्रतिशत पैसा भारतीय कंपनियों से हथियार खरीदने में खर्च किया गया और कितना प्रतिशत पैसा विदेशी कंपनियों से हथियार खरीदने में खर्च किया गया।

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे यह जानकर बड़ी खुशी हुई कि पिछले तीन वर्षो में जो भारतीय लोग हैं, भारतीय कंपनियां हैं, उनसे लगभग 17580.87 करोड़ रुपये के 99 टेंडर जारी किये जा चुके हैं। साथ ही 61 टेंडर 123142 करोड़ रुपये के जारी किये जा चुके हैं। इसलिए मैं सोचता हूं कि लगभग हम 50 प्रतिशत जो स्वदेशी और भारतीय निर्माण के हथियारों की संख्या में आ चुके हैं, यह हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है। सरकार ने मेक-इन-इंडिया के लिए भी बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज बनाई हैं जिसमें देश की सेनाओं के लिए हथियार अपने देश में बन सकें।

माननीय अध्यक्ष : कृपया आप प्रश्न पूछें।

डॉ. मनोज राजोरिया : मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि सेनाओं के आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता के लिए संसद ने जो संकल्प लिया है, जो 'संकल्प से सिद्धि' की ओर

बढ़ने की बात हुई है और वर्ष 2022 के लिए जो संकल्प लिया गया है, उसमें 'मेक इन इंडिया' के लिए वर्ष 2022 तक हमारा क्या संकल्प होगा, कृपया उसे देश के सामने रखें।

[अनुवाद]

डॉ. सुभाष रामराव भामरे: आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य और सदन को बताना चाहता हूँ कि सरकार लगातार सुरक्षा परिदृश्य की समीक्षा करती रही है और तदनुसार उचित रक्षा उपकरणों को शामिल करने का निर्णय लेती रही है।

जैसा कि उन्होंने उचित रूप से कहा है, पिछले तीन वर्षों में हमने 2,30,000 करोड़ रुपये के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने इसका उचित उल्लेख किया है, इस 2,30,000 करोड़ रुपये में से भारतीय विक्रेताओं के लिए 99 अनुबंध हैं जो 1,07,000 करोड़ रुपये से अधिक के है। जहां तक विदेशी विक्रेताओं का संबंध है, यह 1,23,000 करोड़ रुपये के 61 अनुबंध थे। यह हमारा निरंतर प्रयास रहता है कि हम रक्षा बलों को मोर्चों पर होने वाली किसी भी स्थिति के लिए तैयार रखें। इसी कारणवश हमारे पास दीर्घकालिक एकीकृत परिप्रेक्ष्य योजना है। एक विस्तृत प्रक्रिया के माध्यम से 15 वर्षों के लिए सशस्त्र बलों की उपकरण आवश्यकता की योजना बनाई जाती है और इन्हें खरीदा जाता है जिसमें एल.टी.आई.पी., पाँच वर्षीय सेवा-वार क्षमता अधिग्रहण योजना, दो वर्षीय रोल-ऑन वार्षिक अधिग्रहण योजना और रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद द्वारा विचार-विमर्श शामिल है।

[हिन्दी]

डॉ. मनोज राजोरिया: माननीय अध्यक्ष महोदया, पूरा देश जानता है कि देश विभिन्न प्रकार की सुरक्षा की समस्याओं से जूझ रहा था। देश के पड़ोसी मुल्क हमारी सीमाओं की ओर बदनीयती से देख रहे थे। देश के अंदर भी आतंकवाद ने सिर उठा रखा था। ऐसी परिस्थितियों में हमारे प्रधानमंत्री जी ने बड़ी ही निडरता से मित्र-राष्ट्रों को ढूंढना शुरू किया...(व्यवधान) और पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी ने इज़रायल की यात्रा की।

इज़रायल से देश की सुरक्षा के लिए और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए उन्होंने आधुनिक तकनीक संबंधी समझौते किये।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा, पूरा देश जानना चाहेगा कि प्रधानमंत्री जी की जो इज़रायल यात्रा हुई, उसके दौरान इज़रायल से हमारे क्या-क्या रक्षा-समझौते हुए और देश से आतंकवाद को समाप्त करने और देश की सीमाओं की सुरक्षा में उनसे कौन-कौन से लाभ होंगे?

[अनुवाद]

डॉ. सुभाष रामराव भामरे: महोदया, माननीय सदस्य इज़रायल यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित समझौतों और ज्ञापन का ब्योरा चाहते हैं। हालांकि यह इस प्रश्न से संबंधित नहीं है लेकिन मैं उनकी भावनाओं को समझ सकता हूँ। मैं निश्चित रूप से उन्हें प्रधानमंत्री जी की यात्रा का ब्योरा प्रदान करूँगा।

श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर: मेरा प्रश्न माननीय मंत्री जी द्वारा दिए गए उत्तर पर और अधिक स्पष्टता मांगने से सम्बद्ध है।

हाल ही में भारत, विश्व के सबसे बड़े रक्षा उपकरण खरीदार के रूप में सामने आया है। हमें यह भी ज्ञात है कि भारत रक्षा उत्पादन के लिए निजी कंपनियों के साथ रणनीतिक साझेदारी करने जा रहा है। अपने उत्तर में भी मंत्री जी ने इसका उल्लेख किया है।

समाचार-पत्रों में यह भी बताया गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र की कुछ आयुध कंपनियाँ को बंद किया जा रहा है। निजी कंपनियों से आयुध खरीदने का एक कदम उठाया जाने वाला है। मेरे हाथ में एक रिपोर्ट है जो द *टाइम्स ऑफ इंडिया* में प्रकाशित हुई थी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसमें कहा गया है कि कुछ आयुध इकाइयों को बंद करने के लिए कहा गया है। इसमें बताया गया है: "रक्षा मंत्रालय ने सेना को निजी कंपनियों से आयुध खरीदने का निर्देश दिया है; इकाइयों को गन और शेल फैक्ट्री को बंद करने के लिए कहा गया है; गन

केरिज फैक्ट्री; ग्रे आयरन फैक्ट्री; आयुध निर्माणी, चंदा; आयुध निर्माणी, दम दम; आयुध केबल निर्माणी, चंडीगढ़; वाहन फैक्ट्री, जबलपुर; (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: कृपया अपना प्रश्न पूछें।

… (*व्यवधान*)

श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर: मैं जानना चाहता हूँ कि इस पर सरकार की नीति क्या है। क्या आप रक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी को समाप्त कर देंगे और निजी क्षेत्र से उपकरण खरीदने को प्रोत्साहित करेंगे? इसे स्पष्ट करने की जरूरत है।

महोदया, हमें रक्षा उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। रक्षा उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने हेतु सरकार की क्या योजना है? हमें रक्षा उपकरणों के स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहित करना चाहिए। मैं माननीय मंत्री से इस संबंध में एक स्पष्टीकरण चाहता हूँ।

वित्त मंत्री, कारपोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली): महोदया, माननीय सदस्य के प्रश्न की सराहना की जानी चाहिए। भारत एक ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहाँ हमें उच्च स्तरीय रक्षा तैयारियों की आवश्यकता है और इसलिए भारत में अनिश्चित काल तक ऐसी स्थिति नहीं रह सकती है जहाँ उपकरण खरीदने के लिए सदैव दूसरे देशों पर ही निर्भर रहें। हमें भारत में ही उच्च तकनीकी उपकरणों का निर्माण करना आंरभ करना चाहिए।

हमने पिछले कई वर्षों में बहुत प्रगति की है। जहाँ तक देशी विनिर्माण का संबंध है, एक के बाद एक सरकारें स्वदेशी घटक को बढ़ाने का प्रयत्न कर रही हैं। वर्तमान में, परंपरागत रूप से विनिर्माण डी.पी.एस.यू. में चल रहा है।

जहाँ तक आपका रणनीतिक साझेदारी से संबंधित प्रश्न है, जब तक सभी डी.पी.एस.यू. उपकरणों का निर्माण करना जारी रखेंगे, तब तक हम रणनीतिक साझेदारी की नीति तैयार कर लेंगे, जिसके अन्तर्गत शुरू

के चार प्लेटफॉर्म में भारतीय निजी क्षेत्र की कंपनियों को, जिन्हें निजी क्षेत्र के लिए खोला जाएगा, इसके लिए बोली लगाने के लिए कहा जाएगा। बोली की प्रक्रिया द्वारा उन्हें विनिर्माण आधार स्थापित करने के लिए कहा जाएगा। जहाँ तक विदेशी सिद्धांत का प्रश्न है, वे एक-दूसरे के साथ गठजोड़ कर सकते हैं। ये प्रौद्योगिकी गठजोड़ अथवा संयुक्त उद्यमों आदि के संदर्भ में गठजोड़ हो सकते हैं, ताकि सेना के लिए आवश्यक अत्यधिक विशिष्ट उपकरण, चाहे वह गोला-बारूद हो, विमान हो या हेलीकॉप्टर हो, सब भारत में ही निर्मित किए जा सकें।

जहाँ तक आपके प्रश्न के दूसरे भाग का संबंध है, जो आयुध निर्माणी डिपो से संबंधित है, तो मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि सभी आयुध निर्माणी डिपो जारी रहने वाले हैं।

प्रो. सौगत राय: डिपो नहीं बल्कि निर्माणी डिपो।

श्री अरुण जेटली: हम आम तौर पर उन्हें ओ.एफ.डी. कहते हैं। इसलिए, सभी आयुध निर्माणियाँ जारी रहेंगी। इन निर्माणियाँ के किसी भी कर्मचारी को किसी भी तरह से काम से निकाला नहीं जाएगा। इन आयुध निर्माणियों का मुख्य कार्य क्षेत्र गोला-बारूद का निर्माण करना है और हम इन निर्माणियों का उपयोग मुख्य रूप से गोला-बारूद निर्माण के उद्देश्यों हेतु ही करने जा रहे हैं। हम आयुध निर्माणियों में ही कुछ गैर-प्रमुख क्रियाकलाप के बारे में भी विचार कर सकते हैं जो विनिर्माण से संबंधित न हों, लेकिन जहाँ तक गोला-बारूद का संबंध है, उनमें से प्रत्येक का निर्माण जारी रहेगा।

माननीय अध्यक्ष: श्री के.सी.वेणुगोपाल।

श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर: महोदया, मेरा दूसरा अनुपूरक। … (*व्यवधान*)

श्री के.सी. वेणुगोपाल: माननीय अध्यक्ष महोदया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। यह हमारे सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है।

हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों से कुछ परेशान कर देने वाली खबरें आ रही हैं। आज भी मैंने एक मीडिया रिपोर्ट में पढ़ा है कि तिब्बती क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निष्क्रमण की प्रक्रिया शुरू की गई है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की प्रतिवेदन के अनुसार, भारतीय सेना के पास कम से कम 40 दिनों की अनिवार्य आवश्यकता के बदले केवल 20 दिनों के लिए पूर्ण युद्ध लड़ने हेतु गोला-बारूद का भंडार है। इसमें यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान का रक्षा औद्योगिक आधार हमसे बेहतर है। यह वक्तव्य भारत के उप-सेना प्रमुख द्वारा दिया गया है। मुझे नहीं पता कि ऐसी संवेदनशील बातें सार्वजनिक कैसे हो रही हैं। यह एक संवेदनशील मामला है जिस पर सरकार को ध्यान देना होगा।

मेरा माननीय मंत्री जी से सीधा प्रश्न है कि: क्या ऐसा सच में हो रहा है? क्या हमारे देश में पर्याप्त रक्षा उपकरणों की कमी है?

श्री अरुण जेटली: यह प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है और मैं वही दोहराऊंगा जो मैंने पहले भी कहा था। हमारे रक्षा बलों के पास किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त उपकरण उपलब्ध हैं। कोई भी रिपोर्ट जिसमें ऐसे विवरण शामिल होते हैं वे एक विशेष समय तक ही दिनांकित होती है; तत्पश्च्यत उनमें महत्वपूर्ण प्रगति की जा चुकी है। यह एक सतत प्रक्रिया है। इस क्षेत्र में कार्य लगातार जारी है तथा इसलिए किसी को भी उपकरण की उपलब्धता अथवा हमारी सेनाओं की तैयारियों के बारे में किसी प्रकार का भी संदेह नहीं होना चाहिए।

डॉ. ए. संपत: अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने यह कहते हुए परिच्छेद (घ) तथा (ङ) में बहुत अच्छा उत्तर दिया है कि, 'सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण मौजूदा रक्षा खरीद प्रक्रिया [डी.पी.पी.] के अनुसार एक सतत प्रक्रिया है ताकि परिचालन और सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए सेनाओं को तैयार रखा जा सके।'

माननीय अध्यक्ष महोदया, हम सब इसरो और डी.आर.डी.ओ. के वैज्ञानिकों की प्रशंसा करते हैं। इसरो के रिसैट-1, रिसैट-2 और कार्टोसैट उपग्रह को अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में लाया गया। यहाँ मेरा

प्रश्न यह है कि 23 मई, 2017 को भारतीय वायु सेना का सुखोई विमान तेजपुर के पास रहस्यमय ढंग से अचानक गायब हो गया। मेरे अपने जिले से एक युवा पायलट, फ्लाइट लेफ्टिनेंट अचुदेव तथा स्क्वाड्रन लीडर देवेश पंकज उस विमान को उड़ा रहे थे। उनके माता-पिता को एक संदेश प्राप्त हुआ।

माननीय अध्यक्ष: बारह बज चुके हैं। कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

डॉ. ए. संपत: कृपया मुझे आधा मिनट का समय और दें। यह है हमारे सशस्त्र सेना की दुर्दशा।

माननीय अध्यक्ष: मेरे साथ बहस मत कीजिए। आप प्रश्न पूछा कीजिए।

डॉ. ए. संपत: हमारे माननीय रक्षा मंत्री इतने उदार हैं कि उन्होंने तिरूवनन्तपुरम का दौरा किया। वहां जाने के बाद भी उन्होंने फ्लाइट लेफ्टिनेंट अचुदेव के परिवारजनों से मिलने का कोई प्रयत्न नहीं किया।

माननीय अध्यक्ष: यह प्रश्न से संबंधित नहीं है।

डॉ. ए. संपत: माननीय मंत्री जी से मेरा प्रश्न इन दो सशस्त्र सेना के जवानों के बारे में हैं जो कि भारतीय वायुसेना के दो पायलट थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके घरों में खाली ताबूत भेजे गए थे। मैं माननीय रक्षा मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या रक्षा मंत्रालय सुखोई विमान के गायब होने के संबंध में स्वतंत्र जाँच के लिए तथा भारतीय वायु सेना के दो लड़ाकू पायलट अर्थात् फ्लाइट लेफ्टिनेंट अचुदेव और स्क्वाड्रन लीडर देवेश पंकज के पार्थिव शवों को बरामद करने के विषय में कोई कदम उठाएगा।

माननीय अध्यक्ष: मुझे खेद है। यह प्रश्न से संबंधित नहीं है। माननीय मंत्री जी क्या आप इसका उत्तर देना चाहते हैं?

श्री अरुण जेटली: किसी भी मामले में, हमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। वायु सेना ने इस मामले की जाँच कर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की है। किसी भी व्यक्ति को भारतीय वायु सेना की रिपोर्ट पर कोई संदेह नहीं होना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न काल समाप्त हुआ।

<u>मध्याह्न 12.00 बजे</u>

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ सदस्यों से विभिन्न मुद्दों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं। यद्यपि ये मामले महत्वपूर्ण हैं, लेकिन दिन के कामकाज में व्यवधान उत्पन्न करने जितने महत्वपूर्ण नहीं हैं। इसलिए, मैंने स्थगन प्रस्ताव की सभी सूचनाओं को अस्वीकार कर दिया है।

… (*व्यवधान*)

*प्रश्नों के लिखित उत्तर

(तारांकित प्रश्न संख्या 365 से 380
अतारांकित प्रश्न संख्या 4141 से 4199 और 4201 से 4370)

---

* प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाए। https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

<u>अपराह्न 12.01 बजे</u>

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगें। श्री अरुण जेटली

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 (वॉल्यूम 2) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 7498/16/17]

(2) आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17* (पुन:अनुदित संस्करण केवल हिन्दी में)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 7499/16/17]

महिला और बाल विकास मंत्री (श्रीमती मेनका संजय गांधी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :-

(1) (एक) सेंट्रल एडोप्शन रिसोर्स अथोरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) सेंट्रल एडोप्शन रिसोर्स अथोरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

---

*आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) 31.01.2017 को प्रस्तुत किया गया।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 7500/16/17]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री जगत प्रकाश नड्डा): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) (एक) आल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) आल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 7501/16/17]

(3) सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 की धारा 31 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(i) सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिषेध (संशोधन) नियम, 2017 जो 23 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.500(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ii) सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) संशोधन नियम, 2017 जो 24 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.292 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 7502/16/17]

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय) : अध्यक्ष महोदया, श्री प्रकाश जावड़ेकर की ओर से, मैं विशिष्ट संस्थाओं के लिए विनियामक ढांचों को समर्थ बनाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 7503/16/17]

[अनुवाद]

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ: -

(1) (एक) दत्तोपंत ठेंगड़ी नेशनल बोर्ड फॉर वर्कर्स एजुकेशन एंड डेवलपमेंट (पूर्ववर्ती-सेंट्रल बोर्ड फॉर वर्कर्स एजुकेशन), नागपुर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दत्तोपंत ठेंगड़ी नेशनल बोर्ड फॉर वर्कर्स एजुकेशन एंड डेवलपमेंट (पूर्ववर्ती-सेंट्रल बोर्ड फॉर वर्कर्स एजुकेशन), नागपुर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 7504/16/17]

आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के तहत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) में से प्रत्येक की एक प्रतिः -

(एक) इंडियन मेडिसिन फार्मास्युटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अल्मोड़ा के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन मेडिसिन फार्मास्युटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अल्मोड़ा के वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित खातों और उन पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 7505/16/17]

[हिन्दी]

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) : अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं -

(1) यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2017-18 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 7506/16/17]

(2) इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2017-2018 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 7507/16/17]

(3) इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड और परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2017-2018 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 7508/16/17]

(4) न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2017-18 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 7509/16/17]

(5) भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड और परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2017-2018 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 7510/16/17]

[अनुवाद]

वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ:-

(1) भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन और वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 2017-2018 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 7511/16/17]

(2) विशेष आर्थिक जोन अधिनियम , 2005 की धारा 55 की उप-धारा (3) के अधीन विशेष आर्थिक जोन (संशोधन) नियम, 2017 जो 13 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.585(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 7512/16/17]

(3) मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या एफ. सं. 5/7/2014-ई.पी. (ई.पी. एग्री-वी.)/प्लांट-डी जो 7 जुलाई, 2017 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 5 जून, 2015 की अधिसूचना सं.5/7/2014-ई.पी. (एग्री-वी.)/प्लांट-डी में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति [हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण]।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 7513/16/17]

[हिन्दी]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं -

(1) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण आधिनियम, 2013 की धारा 53 के अंतर्गत निम्नलिखित आधिसूचनाओं की एक - एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (सेवानिवृत्ति सलाहकार) (दूसरा संशोधन विनियम, 2017 जो 1 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में आधिसूचना संख्या पी.एफ.आर.डी.ए./12/आर.जी.एल./139/10 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (सेवानिवृत्ति सलाहकार) (पहला

संशोधन) विनियम, 2017 जो 5 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में आधिसूचना संख्या पी.एफ.आर.डी.ए./12/आर.जी.एल./139/10 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (सेवानिवृत्ति सलाहकार) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2017 जो 5 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में आधिसूचना संख्या पी.एफ.आर.डी.ए./12/आर.जी.एल./139/9 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 7514/16/17]

(2) वित्त आधिनियम, 1994 की धारा 94 की उप-धारा 4 के अंतर्गत आधिकरण, अपील आधिकरण और अन्य प्राधिकारी (सदस्यों की अहर्ता, अनुभव और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2017 जो 1 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में आधिसूचना संख्या सा.का.नि. 514(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 7515/16/17]

(3) जीवन बीमा निगम आधिनियम, 1956 की धारा 48 की उपधारा (3) के अधीन भारतीय जीवन बीमा निगम(स्टाफ) संशोधन नियम, 2017 जो 23 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में आधिसूचना संख्या सा.का.नि. 282(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 7516/16/17]

(4) बैंककारी कंपनियां (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) आधिनियम, 1970 की धारा 19 के अधीन सेंट्रल बैंक आफ इंडिया (आधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2017 जो 11 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में आधिसूचना संख्या सी.ओःएच.आर.डीःआई.आर.पीः2017-18116 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 7517/16/17]

(5) आयकर आधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित आधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) आयकर (12वां संशोधन) नियम, 2017, जो 7 जून, 2017 के भारत के राजपत्र

में आधिसूचना संख्या सा.का.नि. 557(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) आयकर (16वां संशोधन) नियम, 2017, जो 16 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में आधिसूचना संख्या का.आ. 1927(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) आयकर (21वां संशोधन) नियम, 2017, जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में आधिसूचना संख्या सा.का.नि. 891(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 7518/16/17]

(6) सीमा शुल्क आधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित आधिसूचनाओं की एक -एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 389(अ) जो 18 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 28 अप्रैल, 1999 की आधिसूचना सं. 41/1999-सीशु में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 491(अ) जो 23 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो 9.3.2012 से 1.3.2017 की अवधि के दौरान प्रवृत्त सामान्य पद्धति के कारण नामित प्रयोगशालाओं के आधिकृत कार्यालयों/आभिकरणों द्वारा ऐसे कटे हुए और पालिश किए गए हीरे के पुनः आयात पर संदेह पूरी ड्याूटी नहीं लगाए जाने / प्रभारित किए जाने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 736(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 31 मार्च, 2003 की आधिसूचना सं. 52/2003-सीशु में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 738(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 9 मार्च, 2012 की आधिसूचना सं. 9/2012-सीशु में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 739(अ) जो 21 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 9 मार्च, 2012 की आधिसूचना सं. 40/2015-सीशु में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 833(अ) जो 5 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसमें आधिकृत प्रचालन के लिए प्रयुत्त विशेष आर्थिक जोन मंे किसी यूनिट अथवा डेवलपर द्वारा वस्तुओं के आयात पर शुल्क लगाए जाने योग्य एकीकृत कर से छूट दिए जाने का उपबंध किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 7519/16/17]

(7) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आधिनियम, 1944 की धारा 38 की उप-धारा (2) के अंतर्गत आधिसूचना संख्या सा.का.नि. 737(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 31 मार्च, 2003 की आधिसूचना संख्या 23/2003-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 7520/16/17]

(8) (एक) भारतीय जीवन बीमा निगम, मुंबई के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय जीवन बीमा निगम, मुंबई के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 7521/16/17]

(9) एकीकृत माल और सेवा कर आधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित आधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगेः-

(एक) सा.का.नि. 603(अ) जो 19 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका आशय एकीकृत माल और सेवा कर आधिनियम, 2017 की कतिपय धाराओं को 22.6.2017 से लागू करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 604(अ) जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका आशय केन्द्रीय कर प्रधान आयुत्त, बेंगलुरू वेस्ट को गैर कराधान क्षेत्र में अवस्थित व्यत्ति द्वारा प्रदत्त अथवा सहमत तथा गैर कराधान आनलाइन प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त आनलाइन जानकारी और डाटाबेस आभिगम और पुनःप्राप्ति सेवा के मामले में रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने की शत्ति प्रदान करना ह,ै तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 662(अ) जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका आशय एकीकृत माल और सेवा कर आधिनियम, 2017 की कतिपय धाराओं को 01.07.2017 से लागू करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 697(अ) जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका आशय कर बीजक पर अपेक्षित एचएसएन डिजिट की संख्या को आधिसूचित करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 698(अ) जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका आशय एकीकृत माल और सेवा कर आधिनियम, 2017 के अंतर्गत ब्याज दर विहित करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) एकीकृत माल और सेवा कर नियम, 2017 जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में आधिसूचना सं. सा.का.नि 699(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 835(अ) जो 5 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा आधिकृत प्रचालनों के लिए प्रयुत्त विशेष आर्थिक जोन में किसी यूनिट अथवा डेवलपर द्वारा आईजीएसटी आधिनियम के अतर्गत सेवाओं के आयात पर एकीकृत कर लगाए जाने से छूट प्रदान किए जाने का उपबंध किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 7522/16/17]

(10) केंद्रीय माल और सेवा कर आधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन निम्नलिखित आधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।:-

(एक) सा.का.नि. 605(अ) जो 19 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय केंद्रीय माल और सेवा कर आधिनियम, 2017 की कतिपय धाराओं को 22.06.2017 से लागू करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 606(अ) जो 19 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय WWW.GST.GOV.IN वेबसाइट को सामान्य माल और सेवा कर इलेक्ट्रानिक पोर्टल के रूप में आधिसूचित करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 607(अ) जो 19 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय केवल कर योग्य आपूर्ति में नियोजित व्यक्ति जिसपर कुल कर विलोमतः प्रभार के आधार पर संदेय किए जाने की संभावना है, को छूट प्रदान करना है।

(चार) सा.का.नि. 608(अ) जो 19 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के अंतर्गत सत्यापन की विधियों को आधिसूचित करना है एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 609(अ) जो 19 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय केंद्रीय कर आधिकारियों की को आधिसूचित करना है एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 जो 19 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में आधिसूचना सं. सा.का.नि. 610(अ) प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय के अंतर्गत सत्यापन की विधियों को आधिसूचित करना है एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 जो 27 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में आधिसूचना सं. सा.का.नि. 644(अ) प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय के अंतर्गत सत्यापन की विधियों को आधिसूचित करना है एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 658(अ) जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय केंद्रीय माल और सेवा कर आधिनियम, 2017 की कतिपय धाराओं को 01.07.2017 से लागू करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 (दूसरा संशोधन) जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में आधिसूचना सं. सा.का.नि. 663(अ) प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय के अंतर्गत सत्यापन की विधियों को आधिसूचित करना है एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 659(अ) जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 19.6.2017 की आधिसूचना सं. 6/2017- केद्रीय कर में संशोधन करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि. 660(अ) जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका आशय कर बीजक पर अपेक्षित एचएसएन डिजिट की संख्या को आधिसूचित करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि. 661(अ) जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका आशय एकीकृत माल और सेवा कर आधिनियम, 2017 के अंतर्गत ब्याज दर विहित करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि. 661(अ) जो 1 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विभिन्न निदेशालयों के आधिकारियों को आधिकारिता और शक्ति समनुदिष्ट करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 (तीसरा संशोधन) जो 1 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में आधिसूचना सं. सा.का.नि. 819(अ) प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय के अंतर्गत सत्यापन की विधियों को आधिसूचित करना है एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पंद्रह) सा.का.नि. 848(अ) जो 7 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय एकीकृत कर के भुगतान के बिना निर्यात के लिए बंध्यपत्र के स्थान पर परिवचन पत्र प्रस्तुत किए जाने के लिए शर्त और सुरक्षा आधिसूचित करना है।

(सोलह) केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 (चौथा संशोधन) जो 27 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में आधिसूचना सं. सा.का.नि. 965(अ) प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय के अंतर्गत सत्यापन की विधियों को आधिसूचित करना है एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 7523/16/17]

(11) वित्त आधिनियम, 2017 की धारा 189 की उप-धारा (3) के अंतर्गत वित्त (कठिनाइयों को दूर किया जाना) आदेश, 2017 जो 29 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 7524/16/17]

(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: जी हाँ, श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन जी। वह केवल पत्र सभा पटल पर रख रहे हैं। यदि आपको कुछ कहना है, तो केवल एक वाक्य में कहिए।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम): महोदया, मेरा मुद्दा यह है कि यह अधिसूचना अनुचित, ग़ैर-कानूनी तथा असंवैधानिक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 2017 के वित्त अधिनियम की धारा 184 के अनुसार, मैं इस बात से सहमत हूँ कि सरकार को नियम बनाने का अधिकार है। लेकिन, नियम कभी भी अधिनियम के मूल प्रावधानों की अवहेलना नहीं करते हैं। यह पहला बिंदु है। दूसरी बात यह है कि संसद के विधायी कार्यों में अतिक्रमण है। यह संसद के न्यायिक कार्यों में भी अतिक्रमण के समान है। वित्त मंत्रालय को अधिसूचना जारी करने का कोई अधिकार नहीं है।

माननीय अध्यक्ष: अब, मद सं.11, श्री हंसराज गंगाराम अहिर।

[हिन्दी]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज गंगाराम अहीर): अध्यक्ष महोदया, मैं राष्ट्रीय अन्वेषण आभिकरण आधिनियम, 2008 की धारा 26 के अंतर्गत निम्नलिखित आधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) पत्र सभा पटल पर रखता हूं -

(1) राष्ट्रीय अन्वेषण आभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत का.आ. 1079(अ) जो 6 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण आभिकरण आधिनियम, 2008 की धारा 11(एक) के अंतर्गत गठित विशेष न्यायालय अर्थात विशेष न्यायाधीश का न्यायालय (एनडीपीएस आधिनियम), भोपाल में न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में है।

(2) का.आ. 1371(अ) जो 1 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जिसमें 2 फरवरी, 2017 की आधिसूचना सं. का.आ. 339(अ) में शुद्धिपत्र दिया गया है।

(3) राष्ट्रीय अन्वेषण आभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत का.आ. 1575(अ) जो 16 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण आभिकरण आधिनियम, 2008 की धारा 11(एक) के अंतर्गत गठित विशेष न्यायालय अर्थात विशेष न्यायाधीश का न्यायालय, शिमला में न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में है।

(4) राष्ट्रीय अन्वेषण आभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत का.आ. 1576(अ) जो 16 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण आभिकरण आधिनियम, 2008 की धारा 11(एक) के अंतर्गत गठित वरिष्ठतम अपर जिला और सत्र न्यायाधीश, सिलीगुड़ी के न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में है।

(5) राष्ट्रीय अन्वेषण आभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत का.आ. 1675(अ) जो 23 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण आभिकरण आधिनियम, 2008 की धारा 11(एक) के अंतर्गत गठित विशेष न्यायालय अर्थात जिला और सत्र न्यायालय, देहरादून में न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में है।

(6) राष्ट्रीय अन्वेषण आभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत का.आ. 1788(अ) जो 5 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण

आभिकरण आधिनियम, 2008 की धारा 11(एक) के अंतर्गत गठित विशेष न्यायालय अर्थात प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, जगदलपुर में न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में है।

(7) राष्ट्रीय अन्वेषण आभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत का.आ. 1787(अ) जो 5 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण आभिकरण आधिनियम, 2008 की धारा 11(एक) के अंतर्गत गठित विशेष न्यायालय अर्थात वरिष्ठतम अपर सत्र न्यायाधीश, मोहाली में न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में है।

(8) राष्ट्रीय अन्वेषण आभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत का.आ. 1785(अ) जो 5 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण आभिकरण आधिनियम, 2008 की धारा 11(एक) के अंतर्गत गठित विशेष न्यायालय अर्थात विशेष सिटी सिविल और सत्र न्यायालय, मुंबई में न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में है।

(9) राष्ट्रीय अन्वेषण आभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत का.आ. 1786(अ) जो 5 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण आभिकरण आधिनियम, 2008 की धारा 11(एक) के अंतर्गत गठित विशेष न्यायालय अर्थात सिटी सिविल और अपर सत्र न्यायाधीश, ग्रेटर मुंबई में न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में है।

(10) राष्ट्रीय अन्वेषण आभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत का.आ. 1864(अ) जो 9 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण आभिकरण आधिनियम, 2008 की धारा 11(एक) के अंतर्गत गठित विशेष न्यायालय अर्थात मुख्य न्यायाधीश, सिटी सत्र न्यायालय, कलकत्ता में न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में है।

(11) राष्ट्रीय अन्वेषण आभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत का.आ. 1879(अ) जो 13 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण

आभिकरण आधिनियम, 2008 की धारा 11(एक) के अंतर्गत गठित विशेष न्यायालय अर्थात जिला न्यायाधीश- चार सह प्रभारी अपर सत्र न्यायाधीश, नई दिल्ली पुलिस जिला, पटियाला हाउस कोर्ट, नई दिल्ली में न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में है।

(12) राष्ट्रीय अन्वेषण आभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत का.आ. 2033 (अ) जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण आभिकरण आधिनियम, 2008 की धारा 11(एक) के अंतर्गत गठित विशेष न्यायालय अर्थात 49 अपर सिटी सिविल और सत्र न्यायाधीश, बेंगलुरू सिटी में न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में है।

(13) राष्ट्रीय अन्वेषण आभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत का.आ. 2285 (अ) जो 21 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण आभिकरण आधिनियम, 2008 की धारा 11(एक) के अंतर्गत गठित विशेष न्यायालय अर्थात विशेष न्यायालय केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो मामले , जयपुर के विशेष न्यायालयमें न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में है।

(14) राष्ट्रीय अन्वेषण आभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत का.आ. 2286 (अ) जो 21 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण आभिकरण आधिनियम, 2008 की धारा 11(एक) के अंतर्गत गठित विशेष न्यायालय अर्थात वरिष्ठ न्यायाधीश, के में न्यायाधीश केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, असम , गुवाहाटी के विशेष न्यायालयमें न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 7525/16/17]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा) : अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं -

(1) आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकी, प्रसुविधा और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) आधिनियम, 2016 की धारा 55 के अंतर्गत निम्नलिखित आधिसूचनाओं की एक - एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) का.आ. 688(अ) जो 2 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो सवरशिक्षा आभियान के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों को वेतन/मानदेय के भुगतान के लिए इस योजना के संबध में आधार का उपयोग किए जाने के बारे में है।

(दो) का.आ. 689(अ) जो 2 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो सवरशिक्षा आभियान के अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वाले बालकों को योजना की प्रसुविधाएं दिए जाने के संबध में आधार का उपयोग किए जाने के बारे में है।

(तीन) का.आ. 2417(अ) जो 31 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 2 मार्च, 2017 की आधिसूचना सं. का.आ. 688(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चार) का.आ. 2418(अ) जो 31 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 2 मार्च, 2017 की आधिसूचना सं. का.आ. 689(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाले नौ विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 7526/16/17]

(3) निःशुल्क और आनिवार्य बाल शिक्षा का आधिकार आधिनियम, 2009 की धारा 38 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित आधिसूचनाओं की एक-एक प्रति(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) निःशुल्क और आनिवार्य बाल शिक्षा का आधिकार (संशोधन) नियम, 2017 जो 22 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में आधिसूचना सं. सा.का.नि. 155(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) का.आ. 1206(अ) जो 18अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा निःशुल्क और आनिवार्य बाल शिक्षा का आधिकार आधिनियम, 2009 की धारा 23(2) के अंतर्गत असम राज्य को दी गई छूट की अवधि बढ़ा दी गई है।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाले नौ विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 7527/16/17]

(5) (एक) गोवा सर्व शिक्षा आभियान, गोवा के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) गोवा सर्व शिक्षा आभियान, गोवा के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 7528/16/17]

(7) (एक) हरियाणा स्कूल सर्व शिक्षा परियोजना परिषद (सर्व शिक्षा आभियान), पंचकुला के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हरियाणा स्कूल सर्व शिक्षा परियोजना परिषद (सर्व शिक्षा आभियान), पंचकुला के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 7529/16/17]

(9) (एक) झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, रांची के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, रांची के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 7530/16/17]

(11) (एक) हिमाचल प्रदेश स्कूल एजुकेशन सोसायटी, शिमला के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हिमाचल प्रदेश स्कूल एजुकेशन सोसायटी, शिमला के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 7531/16/17]

(13) (एक) नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 7532/16/17]

(15) (एक) सर्व शिक्षा आभियान (एसएसए राज्य मिशन ऑथारिटी) अरूणाचल प्रदेश, ईटानगर के वर्ष 2014-2015 और वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा आभियान (एसएसए राज्य मिशन ऑथारिटी) अरूणाचल प्रदेश, ईटानगर के वर्ष 2014-2015 और वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 7533/16/17]

(17) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा आभियान सिक्किम, गंगटोक के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा आभियान सिक्किम, गंगटोक के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 7534/16/17]

(19) (एक) सर्व शिक्षा आभियान सोसाइटी, चंडीगढ़ के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा आभियान सोसाइटी, चंडीगढ़ के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 7535/16/17]

(21) (एक) सर्व शिक्षा आभियान- यूटी मिशन ॲथारिटी अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा आभियान- यूटी मिशन ॲथारिटी अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 7536/16/17]

(23) (एक) सर्व शिक्षा आभियान-यू.टी. ऑफ पुडुचेरी, पुडुचेरी के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा आभियान-यू.टी. ऑफ पुडुचेरी, पुडुचेरी के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 7537/16/17]

(25) (एक) सर्व शिक्षा आभियान-यू.टी. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दमन और दीव, दमन के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा आभियान-यू.टी. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दमन और दीव, दमन के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 7538/16/17]

(27) (एक) सर्व शिक्षा आभियान कर्नाटक, बेंगलुरू के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा आभियान कर्नाटक, बेंगलुरू के वर्ष 2015-20156 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 7539/16/17]

(29) (एक) यूनियन टैरिटरी मिशन अॅथारिटी दादर और नागरहवेली(सर्व शिक्षा आभियान), सिल्वासा के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) यूनियन टैरिटरी मिशन अॅथारिटी दादर और नागर हवेली (सर्व शिक्षा आभियान), सिल्वासा के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 7540/16/17]

(31) (एक) तेलंगाना सर्व शिक्षा आभियान, हैदराबाद के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तेलंगाना सर्व शिक्षा आभियान, हैदराबाद के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 7541/16/17]

(33) (एक) उत्तराखंड सर्व शिक्षा आभियान, देहरादून के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) उत्तराखंड सर्व शिक्षा आभियान, देहरादून के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 7542/16/17]

सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णपाल गूर्जर): अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) (एक) रीजनल ब्रेल प्रेस, कोलकाता के वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रीजनल ब्रेल प्रेस, कोलकाता के वर्ष 2015-16 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 7543/16/17]

(3) (एक) आल इंडिया कोफेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड, दिल्ली के वर्ष 2016-17 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) आल इंडिया कोफेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड, दिल्ली के वर्ष 2016-17 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 7544/16/17]

(4) (एक) मित्र ज्योति, बेंगलुरू के वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मित्र ज्योति, बेंगलुरू के वर्ष 2015-16 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 7545/16/17]

(6)(एक) राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ, जयपुर के वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ, जयपुर के वर्ष 2015-16 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 7546/16/17]

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय) : अध्यक्ष महोदया, मैं स्टील अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2017-18 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 7547/16/17]

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): मैं प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 30 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

(i) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) संशोधन नियम, 2017 जो 20 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.268(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (संशोधन) नियम, 2017 जो 28जून, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.664[अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 7548/16/17]

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय) : अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान आधिनियम, 2007 की धारा 26 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित आधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) परिनियम, 2017 का पहला परिनियम, जो 24 जुलाई, 2017 को भारत के राजपत्र में आधिसूचना सं.सा.का.नि. 947 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) भारतीय आभियांत्रिकी विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, शिवपुर (संशोधन) परिनियम, 2017 का पहला परिनियम, जो 24 जुलाई, 2017 को भारत के राजपत्र में आधिसूचना सं.सा.का.नि. 948 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 7549/16/17]

(2) आखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद आधिनियम, 1987 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित आधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) -

(एक) आखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (राष्ट्रीय रोजगार परकता आभिवृद्धि मिशन) (एनईईएम) विनियम, 2017 जो 27 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में आधिसूचना सं.एफ.सं. 37-1/डी-एसडीसी/नीम/2017 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) आखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी की बड़ी/प्रमुख शाखा और उनके संगत/उपयुक्त पाठ्याक्रम जिनके फलस्वरूप इंजीनियरी प्रौद्योगिकी की डिग्री मिलती है) 2017 शिक्षण पद के लिए भर्ती; जो 28 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में आधिसूचना सं.एफ.सं. 27/आईएफडी/वेतन/01 /2017-18 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 7550/16/17]

(3) केन्द्रीय विश्वविद्यालय आधिनियम, 2009 की धारा 43 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित आधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) -

(एक) आधिसूचना संख्या सीयूजे/विनियम/04/2010 जो 27 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी आफ झारखंड के अध्यादेश संख्यांक ओए-2, ओए-5 और ओई-1 के बारे में है।

(दो) आधिसूचना संख्या एचएनबीजीयू/आरओ/2017/285 जो 20 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, एनएनवी गढ़वाल यूनिवर्सिटी के अध्यादेशों को तैयार किया गया है।

(तीन) आधिसूचना संख्या आर/2012/380 जो 24 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा डॉ. हरिसिंह गौड़ विश्वविद्यालय के परिनियम सं.15(1) में संशोधन किया गया है।

(चार) आधिसूचना संख्या 2-4/2009-प्रशा./329 जो 8 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आफ गुजरात के अध्यादेश संख्यांकों में संशोधन किया गया है।

(पांच) आधिसूचना संख्या 2-4/2009-प्रशा./1241 जो 11 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आफ गुजरात के अध्यादेश संख्यांकों में संशोधन किया गया है।

(छह) आधिसूचना संख्या 3-3/सीयूएचपी/जीए/2010/खण्ड-2 जो 20 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आफ हिमाचल प्रदेश के अध्यादेश संख्यांकों में संशोधन किया गया है।

(सात) आधिसूचना संख्या सीयूएच/2016/रेग./आधिसूचना/346 (ए) जो 22 नवम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आफ हरियाणा के अध्यादेश संख्यांकों में संशोधन किया गया है।

(आठ) आधिसूचना संख्या सीयूजे/प्रशासन/अध्यादेश/2017/519 जो 12 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आफ जम्मू के अध्यादेश संख्यांकों में संशोधन किया गया है।

(नौ) आधिसूचना संख्या 243 जो 20 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आफ तमिलनाडु के अध्यादेश संख्यांकों में संशोधन किया गया है।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 7551/16/17]

(4) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमैंट अहमदाबाद, अहमदाबाद के वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमैंट अहमदाबाद, अहमदाबाद के वर्ष 2015-16 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 7552/16/17]

(6) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाऊंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी, रांची के वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी, रांची के वर्ष 2015-16 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 7553/16/17]

(8) (एक) इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसिफिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसिफिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2015-16 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 7554/16/17]

(10) (एक) इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2015-16 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 7555/16/17]

(12) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, राऊरकेला के वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, राऊरकेला के वर्ष 2015-16 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 7556/16/17]

(14) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2015-16 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 7557/16/17]

(16) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, हमीरपुर के वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, हमीरपुर के वर्ष 2015-16 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 7558/16/17]

(18) (एक) मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इलाहाबाद के वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इलाहाबाद के वर्ष 2015-16 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 7559/16/17]

(20) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी, शिमला के वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी, शिमला के वर्ष 2015-16 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 7560/16/17]

(22) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जमशेदपुर के वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जमशेदपुर के वर्ष 2015-16 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 7561/16/17]

(24) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमैंट अहमदाबाद, अहमदाबाद के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमैंट अहमदाबाद, अहमदाबाद के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) उपर्युक्त (24) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 7562/16/17]

(26) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमैंट रायपुर, रायपुर के वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमैंट रायपुर, रायपुर के वर्ष 2015-16 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 7563/16/17]

(28) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमैंट इंदौर, इंदौर के वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमैंट इंदौर, इंदौर के वर्ष 2015-16 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) उपर्युक्त (28) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 7564/16/17]

(30) (एक) राजीव गांधी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमैंट शिलोंग, शिलोंग के वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजीव गांधी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमैंट शिलोंग, शिलोंग के वर्ष 2015-16 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) उपर्युक्त (30) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 7565/16/17]

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा राज) : अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) (एक) नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 7566/16/17]

[अनुवाद]

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष रामराव भामरे): मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) हिंदुस्तान ऐयरोनॉटिक्स लिमिटेड और रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2017-2018 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 7567/16/17]

(2) भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच के बीच वर्ष 2017-2018 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 7568/16/17]

(3) भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2017-2018 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 7569/16/17]

(4) भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड तथा बेल अपट्रॉनिक डिवाइसेस लिमिटेड के बीच वर्ष 2017-2018 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 7570/16/17]

(5) बी.ई.एम.एल. लिमिटेड और रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2017-2018 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 7571/16/17]

(6) बी.ई.एम.एल. लिमिटेड और विज्ञान इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बीच वर्ष 2017-2018 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 7572/16/17]

अपराह्न 12.03 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव: माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है:-

(i) "मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निदेश हुआ है दिया कि राज्य सभा ने गुरुवार, 10 अगस्त, 2017 को हुई अपनी बैठक में नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2016 संबंधी संयुक्त समिति में आकस्मिक रिक्तियों को भरने के संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया है:

प्रस्ताव

"कि यह सभा लोक सभा की इस सिफारिश से सहमति प्रकट करती है कि राज्य सभा नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2016 संबंधी संयुक्त समिति में 18.08.2017 को राज्य सभा से श्री दिलिप भाई पंडया, श्री देरेक ओब्राईन तथा श्री पि. भट्टाचार्य की सेवानिवृत्ति के कारण होने वाली रिक्तियों पर तीन सदस्य नियुक्त करें और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति के लिए इस प्रकार नियुक्त किए गए सदस्य के नाम लोक सभा को सूचित करे और यह संकल्प करती है कि श्री नारायण लाल पंचारिया, श्री पि. भट्टाचार्य और देरेक ओब्राईन को 19.08.2017 से रिक्तियों को भरने के लिए उक्त संयुक्त समिति के लिए नियुक्त/पुनःनियुक्त किया जाए। "

(ii) "मुझे सभा को यह सूचना देने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने गुरुवार, 10 अगस्त, 2017 को हुई अपनी बैठक में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्यर्वस्थापन में उचित

प्रतिकार और पारदर्शिता (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2015 संबंधी संयुक्त समिति में आकस्मिक रिक्ति को भरने के संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया है:-

प्रस्ताव

"कि यह सभा लोक सभा की इस सिफारिश से सहमति प्रकट करती है कि राज्य सभा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (दूसरा संशोधन) विधेयक 2015 संबंधी संयुक्त समिति में 18.08.2017 को राज्य सभा से श्री देरेक ओब्राईन की सेवानिवृत्ति के कारण उत्पन्न होने वाली रिक्ति पर एक सदस्य नियुक्त करें और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति के लिए इस प्रकार नियुक्त किए गए सदस्य के नाम को लोक सभा को सूचित करें और यह संकल्प करती है कि श्री देरेक ओब्राईन को 19.08.2017 से रिक्ति को भरने के लिए उक्त समिति के लिए पुनः नियुक्त किया जाए।"

(3) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों के नियम 127 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा यह को सूचित करने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने 10 अगस्त, 2017 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 3 अगस्त, 2017 को हुई अपनी बैठक में पारित किए गए बैंककारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2017 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

अपराह्न 12.04 बजे

लोक लेखा समिति

80वां और 81वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : अध्यक्ष महोदया, मैं लोक लेखा समिति (2017-18) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) 'सेंट्रल बफर कपलर (सीपीसी) संघटकों की विफलता के कारण रेलगाड़ी के पृथक होने से हानि' के बारे में 41वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 80वां प्रतिवेदन।

(2) 'अनुराग द्वारा आतिरिक्त परिहार्य व्यय' के बारे में 44वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 81वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.05 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पो संबंधी समिति- सारांश

कार्यवाही सारांश

[हिन्दी]

श्री रत्न लाल कटारिया (अम्बाला) : अध्यक्ष महोदया, मैं चालू सत्र के दौरान हुई गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति की 34वीं से 36वीं बैठकों का कार्यकारी सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.05 ½ बजे

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति

39वां से 41वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

डॉ. सुनील बलीराम गायकवाड़ (लातूर): अध्यक्ष महोदया, मैं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2016-2017) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2017-2018) के बारे में समिति के 34वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 39वां प्रतिवेदन।

(2) संचार मंत्रालय (दूर संचार विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2017-2018) के बारे में समिति के 35वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 40वां प्रतिवेदन।

(3) संचार मंत्रालय (डाक विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2017-2018) के बारे में समिति के 37वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 41वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.06 बजे

विदेश मामलों संबंधी समिति

16वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

डॉ. शशि थरूर (तिरुवनन्तपुरम) : अध्यक्ष महोदया, मैं 'भारत-पाकिस्तान संबंध' विषय पर विदेशी मामलों संबंधी समिति (2016-17) का 16वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

<u>अपराह्न 12.06 ½ बजे</u>

<u>खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति</u>

विवरण

[हिन्दी]

डॉ. स्वामी साक्षीजी महाराज (उन्नाव) : अध्यक्ष महोदया, मैं खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2016-17) के निम्नलिखित की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदनों के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही तथा अध्याय पांच के बारे में अंतिम उत्तर दर्शाने वाले की-गई-कार्यवाही विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) की अनुदानों की मांगों (2016-17) (16वीं लोक सभा) के बारे में 13वां की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन।

(2) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) की अनुदानों की मांगों (2016-17) (16वीं लोक सभा) के बारे में 14वां की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.07 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 36वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): महोदया, मैं कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 36वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ।

---

* सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए क्रमशः संख्या एलटी 7573/16/17 तथा 7574/16/17

<u>अपराह्न 12.07 ½ बजे</u>

(2) महिला और बाल विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2015-16] के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के 268वें प्रतिवेदन तथा अनुदानों की मांगों (2016-17] के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के 278वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

महिला और बाल विकास मंत्री (श्रीमती मेनका संजय गांधी): महोदया, मैं महिला और बाल विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों [2015-16) के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के 268वें प्रतिवेदन तथा अनुदानों की मांगों (2016-17] के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के 278वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखती हूँ।

---

* सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए क्रमशः संख्या एलटी 7573/16/17 तथा 7574/16/17

अपराह्न 12.08 बजे

(3) उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2010-11) (मांग संख्या 58) के बारे में समिति के 222वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के संबंध में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के233वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय) : अध्यक्ष महोदया, मैं श्री प्रकाश जावड़ेकर की ओर से उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2010-11) (मांग संख्या 58) के बारे में समिति के 222वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के संबंध में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के 233वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य प्रस्तुत करता हूं।

---

* सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए क्रमशः संख्या एलटी 7575/16/17 तथा 7576/16/17

अपराह्न 12.08 ½ बजे

(4) कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति के 16वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में समिति के 22वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): महोदया, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति के 16वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में समिति के 22वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ।

---

* सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए क्रमशः संख्या एलटी 7575/16/17 तथा 7576/16/17

<u>अपराह्न 12.09 बजे</u>

कार्य मंत्रणा समिति के 46वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

[हिन्दी]

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस.अहलुवालिया): अध्यक्ष महोदया, मैं श्री अनंत कुमार की ओर से निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूं:-

> " कि यह सभा 10 अगस्त, 2017 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 46वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> “कि यह सभा 10 अगस्त, 2017 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 46वें प्रतिवेदन से सहमत है।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

<u>अपराह्न 12.10 बजे</u>

<u>सरकारी विधेयक - पुर:स्थापित किए गए</u>

(1) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2017*

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा): महोदया, मैं श्री प्रकाश जावड़ेकर की ओर से प्रस्ताव करता हूँ कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिनियम, 2009 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

> "कि नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री उपेन्द्र कुशवाहा: महोदया, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूँ।

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 11-8-2017 में प्रकाशित।

अपराह्न 12.10 ½ बजे

(2) निरसन और संशोधन (दूसरा) विधेयक, 2017*

विधि और न्याय मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि कतिपय अधिनियमितियों का निरसन करने और कतिपय अन्य अधिनियमितियों का संशोधन करने वाले विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

> "कि कि कतिपय अधिनियमितियों का निरसन करने और कतिपय अन्य अधिनियमितियों का संशोधन करने वाले विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए"

श्री रवि शंकर प्रसाद: महोदया, मैं विधेयक** पुर:स्थापित करता हूँ।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : यह टाइम बार्ड था, मैंने बता तो दिया।

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 11-8-2017 में प्रकाशित।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

अपराह्न 12.11 बजे

विदाई उल्लेख

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, सोलहवीं लोक सभा के बारहवें सत्र के समापन पर आप सभी को मैं बधाई देती हूं, क्योंकि यह सोलहवीं लोक सभा का बारहवां सत्र 17 जुलाई, 2017 को आरंभ हुआ था, जो आज समाप्त हो रहा है। मगर इस सत्र के दौरान हमने 19 बैठकें की, जो तकरीबन 76 बजे 41 मिनट चलीं। वर्तमान सत्र के दौरान 17 जुलाई, 2017 को भारत के 14वें राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन हुआ और 20 जुलाई, 2017 को इसके परिणाम की घोषणा हुई। भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में निवारचित होने के पश्चात माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी ने 25 जुलाई, 2017 को केन्द्रीय कक्ष में शपथ ली।

सभा ने 9 अगस्त, 2017 को "भारत छोड़ो आंदोलन" की 75वीं वर्षगांठ के अवसर को विशेष चर्चा के पश्चात् एक संकल्प को स्वीकृत करके मनाया। यह सचमुच में एक आविस्मरणीय क्षण था। इसलिए फिर एक बार आप सबको मैं बधाई और धन्यवाद दोनों देती हूं।

इस सत्र के दौरान महत्वपूर्ण वित्तीय, विधायी और अन्य कार्य निपटाये गये। वर्ष 2017-18 के लिए अनुदानों के लिए अनुपूरक मांगें (सामान्य) और वर्ष 2014-15 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) के बारे में करीब 5 बजे 11 मिनटतक चर्चा हुई और तत्पश्चात् इन्हें मतदान के लिए रखा गया और संबंधित विनियोग विधेयक पारित किए गए।

वर्तमान सत्र के दौरान 17 सरकारी विधेयक पुर:स्थापित किए गए। कुल मिलाकर 14 विधेयक पारित किए गए। पारित किए गए कुछ महत्वपूर्ण विधेयकों में निम्नलिखित विधेयक शामिल थे:-

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (सरकारी-निजी भागीदारी) विधेयक, 2017;

निःशुल्क और निवार्य बाल शिक्षा का आधिकार (संशोधन) विधेयक, 2017;

कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2016;

बैंककारी विनियम (संशोधन) विधेयक, 2017;

पंजाब नगर निगम विधि (चंडीगढ़ पर विस्तार) संशोधन विधयेक, 2017; और

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 2017

सत्र के दौरान 380 तारांकित प्रश्न सूचीबद्ध किए गए जिनमें से 63 प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए। इस प्रकार, औसतन प्रतिदिन लगभग 3.31 प्रश्नों के उत्तर दिए गए। शेष तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 4370 अतारांकित प्रश्नों के उत्तरों के साथ सभा पटल पर रखे गए। सदस्यों ने प्रश्न काल के पश्चात् और शाम को देर तक बैठ कर लगभग 252 आविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए। माननीय सदस्यों ने नियम 377 के अधीन करीब 281 मामले सदन में उठाए।

स्थायी समितियों ने सभा में 44 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए।

सभा में नियम 193 के अधीन निम्नलिखित आविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों पर अल्पकालिक चर्चाएं भी हुईं :-

(1) देश में कृषि क्षेत्र की स्थिति, और

(2) देश में भीड़ द्वारा हिंसा में अत्याचार और पीट-पीटकर मारने की कथित घटनाओं से उत्पन्न स्थिति

इस सत्र के दौरान ध्यानाकर्षण (कॉलिंग अटेंशन) के माध्यम से देश के विभिन्न भागों में बाढ़ के कारण उत्पन्न समस्याओं के बारे में भी मामला भी उठाया गया।

अन्य विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर मंत्रियों द्वारा 41 वक्तव्य दिए गए और माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने सरकारी कार्य के बारे में तीन वक्तव्य दिए।

सत्र के दौरान, संबंधित मंत्रियों ने करीब 1270 पत्र सभा पटल पर रखे।

गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के अंतर्गत विभिन्न विषयों पर गैर सरकारी सदस्यों के 28 विधेयक इंटरड्यूज किए गए। श्री विन्सेंट एच. पाला द्वारा पेश किए गए संविधान की छठी अनुसूची (संशोधन) विधेयक 2015 पर विचार किए जाने के प्रस्ताव को 21 जुलाई, 2017 को आगे चर्चा के लिए लिया गया। तथापि, विधेयक पर चर्चा उस दिन पूरी नहीं हुई।

जहां तक गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों का संबंध है, कर्मचारी भविष्य निधि के पेंशनभोगियों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन द्वारा पेश किए गए संकल्प, जिस पर पिछले सत्रों के दौरान चर्चा की गई थी, पर 28 जुलाई, 2017 को आगे चर्चा की गई और उसे उसी दिन सभा की अनुमति से वापस लिया गया। देश में विभिन्न रक्षा स्थापनों के समीप स्थित भवनों के जीर्णोद्धार के संबंध में श्री गोपाल शेट्टी द्वारा 28 जुलाई, 2017 को एक अन्य संकल्प पेश किया गया और इस पर आंशिक चर्चा हुई।

इस सत्र में व्यवधानों और उसके कारण किए गए स्थगनों के कारण 29 बजे 58 मिनट का समय नष्ट हुआ, लेकिन सभा ने 10 बजे और 43 मिनट देर तक बैठ कर विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा भी की। इसके लिए भी मैं आपकी आभारी हूँ।

मैं माननीय उपाध्यक्ष और सभापति तालिका में शामिल अपने सहयोगियों का सभा के सुचारू रूप से संचालन में अपना सहयोग देने के लिए धन्यवाद करती हूँ। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री, विभिन्न दलों और समूहों के नेताओं और मुख्य सचेतकों तथा सभी माननीय सदस्यों के प्रति उनके सहयोग के लिए आभार व्यक्त करती हूँ। मैं आप सभी की ओर से प्रेस और मीडिया के अपने मित्रों का भी धन्यवाद करना चाहूंगी। मैं इस अवसर पर महासचिव और लोक सभा सचिवालय के सभी आधिकारियों तथा कर्मचारियों को उनके द्वारा सभा को दी गई समर्पित और तत्काल सेवा के लिए धन्यवाद देती हूँ। मैं सभा की कार्यवाही के सुचारु संचालन के लिए प्रदान की गई सहायता के लिए संबंधित सभी एजेंसियों को भी धन्यवाद करती हूँ।

माननीय सदस्यगण, मैं इस अवसर पर आने वाले स्वतंत्रता दिवस के लिए सभी को बधाई देती हूँ और हमने तो संकल्प भी लिया है।

इस पूरे सत्र में, आप सबका जो सहयोग रहा, उसके लिए मैं एक बार फिर आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ और बधाई देती हूँ।

माननीय सदस्यगण, कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, क्योंकि अब "वन्दे मातरम्" की धुन बजाई जाएगी।

अपराह्न 12.19 बजे

राष्ट्रगीत

(राष्ट्रगीत *की धुन बजाई गई)*

माननीय अध्यक्ष: सभा *अनिश्चित काल के लिए स्थगित होती है।*

अपराह्न 12.20 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण, अंग्रेजी संस्करण और हिन्दी संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं*:*

https://sansad.in/ls

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का संसद टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की कार्यवाही समाप्त होने तक होता है।

© 2017 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सत्रहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित